अंक–18 फरवरी, 2021

धनबाद

राजभाषा संदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद की पत्रिका

अंतरराष्ट्रीय
मातृभाषा
दिवस
21 फरवरी

अध्यक्ष कार्यालय

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

संघ की राजभाषा नीति

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)} ।

परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3) ।

संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है । परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं । {संविधान का अनुच्छेद 120}

किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है ।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय साथियो,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पत्रिका 'धनबाद राजभाषा संदेश'के अंक-18 के माध्यम से वर्ष 2021 में पहली बार आप से अपने विचार साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस बार यह अंक अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा है। भाषाओं के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2000 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व भर में इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

भाषाएं हमारी संस्कृति, परंपरा और विरासत के संरक्षण व विकास के सबसे शक्तिशाली साधन हैं। इसलिए मातृभाषाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए सभी कदम न केवल भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पूर्ण जागरूकता विकसित करने और समझ, सहिष्णुता व संवाद के आधार पर एकजुटता को प्रेरित करने के लिए भी काम करेंगे।

विश्व में लगभग 6000 भाषाएं हैं, जिसमें 43% भाषाएं संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक दो सप्ताह में एक भाषा विश्व से गायब हो जाती है और इसके साथ ही उस भाषा की पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत भी गायब हो जाती है। यह संपूर्ण मानवता की क्षति है। इसलिए भाषाओं को बचाया जाना आवश्यक है। इस विश्व में जितनी अधिक से अधिक भाषाएं रहेंगी, हमारे पास अपनी दुनिया को जानने और पारंपरिक ज्ञान संपदा को सहेजने के उतने अधिक अवसर रहेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी मातृभाषा को महत्त्व दें। घर में हम मातृभाषा और कार्यालय में राजभाषा का ही प्रयोग करें। हिंदी के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है-

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय को शूल।।

मुझे ज्ञात हुआ है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद को वर्ष 2019-20 के लिए पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गयी है। नराकास धनबाद की इस उपलब्धि के लिए मैं सभी सदस्य कार्यालयों को बधाई देता हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि नराकास धनबाद आप सभी के सहयोग से आने वाले वर्षों में और भी अच्छा कार्य प्रदर्शन करेगा।

शुभकामनाओं के साथ!

पीएमप्रसाद
03/02

(पी. एम. प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल एवं
अध्यक्ष, नराकास धनबाद

पी वी के आर मल्लिकार्जुन राव
निदेशक (कार्मिक)
P.V.K.R. Mallikarjun Rao
Director (P)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
एक मिनी रत्न कम्पनी
(कोल इण्डिया की सहायक कंपनी)
BHARAT COKING COAL LIMITED
A Mini Ratna Company
(A Subsidiary of Coal India Limited)
कोयला भवन, कोयला नगर / Koyla Bhawan, Koyla Nagar,
धनबाद /Dhanbad-826005

संदेश

प्रिय साथियो,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद की छमाही पत्रिका 'धनबाद राजभाषा संदेश'के अंक-18 के माध्यम से आपसे संवाद करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मुझे पता चला है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी समिति को पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गयी है। प्राप्त होने वाले पुरस्कारों से इस बात की पुष्टि होती है कि नराकास धनबाद द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के प्रयास सही दिशा में किए जा रहे हैं। सभी सदस्य कार्यालयोंके सामूहिक योगदान से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए सभी सदस्य कार्यालय बधाई के पात्र हैं।

आज देश भर में 500 से अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्यरत हैं। इन समितियों की स्थापना का उद्देश्य भी केंद्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों उपक्रमों बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दर करने के लिए एक संयुक्त मंच उपलब्ध कराना था, ताकि नगर स्तर पर मिल बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि इस संबंध में चर्चा कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया था।

नराकास के गठन के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप नराकास धनबाद द्वारा सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक छमाही बैठक के अवसर पर की जाती है। सदस्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से समय-समय पर राजभाषा कार्यशालाएं और राजभाषा संगोष्ठी आदि का भी आयोजन किया जाता है। जनवरी, 2021 में भी राजभाषा ई-संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान वक्ताओं को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था। नवंबर, 2020 में 4 राजभाषा प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन भी किया गया था। इन सभी कार्यक्रमों में सदस्य कार्यालयों द्वारा खूब उत्साह से भागीदारी की गयी थी।

वर्ष 2020-21 में निर्धारित दो छमाही बैठकों के स्थान पर समिति द्वारा तीन बैठकों का आयोजन किया गया है। नराकास धनबाद के ये प्रयास निश्चित रूप से समिति की राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति गंभीरता को दर्शाते हैं। समिति की गतिविधियों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती जा रही है।

मैं सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध करता है कि आप अपने कार्यालय में राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करें। आप सभी का सम्मिलित प्रयास ही नराकास की उपलब्धि के रूप में सामने आता है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि नराकास धनबाद को देश में सर्वश्रेष्ठ नराकास के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान प्रदान करने का कष्ट करें।

शुभकामनाओं के साथ!

03/02/2021

(पी वी के आर मल्लिकार्जुन राव)
निदेशक (कार्मिक)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड – अध्यक्ष कार्यालय

संपादकीय

भारतीय भाषाओं का सशक्तीकरण

भारत की शिक्षा को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में बहुप्रतीक्षित नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू की गयी। इस नीति में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज तमाम भाषाओं के समक्ष आसन्न संकट की बात प्रमुखता से उठायी गयी है और कहा गया है कि ये भाषाएं भी कई प्रकार के संकटों का सामना कर रही हैं। भाषाओं को चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचाने के लिए और उनको प्रासंगिक व जीवंत बनाए रखने के लिए उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बनाए रखने की अपेक्षा भी इस नीति में की गयी है। इसके साथ ही नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कहा गया है कि दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नही मिल पायी है, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। युनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित कर दिया है। देश में इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्ति को संरक्षित या उन्हें रिकार्ड करने के लिए कोई ठोस नीति अभी तक नहीं थी। नयी शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इस कार्य के लिए अनेक अकादमी व संस्थान भी खोले जाने की घोषणा की गयी है।

हाल ही में देश में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए दो बड़े कदम उठाए गए हैं। पहले कदम के रूप में दिनांक 01 फरवरी, 2021 को संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए वर्ष 2021-22 के आम बजट में कहा गया है कि हम एक नई पहल- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

दूसरा कदम भारत में फिल्म प्रमाणन के लिए कानूनी निकाय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा उठाया गया है। उनके द्वारा फिल्म निर्माताओं को कहा गया कि जिस भाषा में फिल्म का प्रमाणन हासिल करने के लिए आवेदन किया गया है, उसी भाषा में शीर्षक, कलाकारों के नाम एवं आभार आदि लिखें जाएं। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली-1983 के नियम-22 में संशोधन करके किया गया है, जिसके तहत फिल्म का शीर्षक, कलाकारों के नाम और आभार उस भाषा में लिखे होने चाहिए जिस भाषा में फिल्म के संवाद हैं और अगर आवेदक की इच्छा हो तो वह संवाद वाली भाषा के अलावा इन्हें अन्य भाषा में प्रदर्शित कर सकता है।' यह कदम निश्चित रूप से उस भाषा का सम्मान होगा जिसके माध्यम से फिल्मकार रूपए तो कमाते हैं, लेकिन उस भाषा को महत्त्व नहीं देते हैं। आज के समय में बॉलीवुड की लगभग सभी फिल्मों में शीर्षक, कलाकारों के नाम व आभार आदि सब कुछ अंग्रेजी में ही आता है।

राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत में भाषायी अवरोधों को खत्म करके भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान करके मौखिक तथा लिखित दोनों रूप में एक ज्ञान आधारित समाज (नॉलेज बेस्ड सोसाइटी) का निर्माण करना है। इस मिशन के तहत डिजिटल प्लेटफार्म पर सेवा प्रदान करने वाली मशीन अनुवाद प्रणाली बनाने की भी परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखित तथा मौखिक सामग्री का अनुवाद करने के लिए किया जाएगा। इस मिशन का एक अन्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में नवीनतम ज्ञान को विकसित करना और विभिन्न स्टार्ट अप और केंद्र व राज्य सरकार के संस्थानों के साथ मिलकर काम करने वाले एक इकोसिस्टम का निर्माण करना भी है।

इस मिशन के माध्यम से इंटरनेट पर केवल हिंदी या अंग्रेजी ही नहीं बल्कि भविष्य में सभी सरकारी सूचनाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में उपलब्ध करायी जाएंगी। यह मिशन वर्ष 2025 तक भारत को एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा ले जाने में सहयोगी होगा और भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना **डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत** को पूर्ण करने में सहायक होगा।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से प्रकाशित की जाने वाली नराकास धनबाद की पत्रिका 'धनबाद राजभाषा संदेश' का अंक-18 प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बार का यह अंक डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। सभी पाठकों को ईमेल के माध्यम से यह पत्रिका भेजी जाएगी। आशा है कि विज्ञ पाठकों को यह अंक पसंद आएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार में....

- दिलीप कुमार सिंह
सचिव, नराकास धनबाद

अध्यक्ष
पी एम प्रसाद
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
एवं
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
धनबाद

मार्गदर्शक
पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव
निदेशक (कार्मिक)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

परामर्श
प्रभात कुमार
महानिदेशक,
खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद
डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
निदेशक,
केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद
आशीष बंसल
मंडल रेल प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद
ए. के. कुण्डू
कार्यपालक निदेशक
केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संस्थान (सेल), धनबाद
कोलियरी प्रभाग (सेल), चासनाला
एस. एन. सिन्हा
महाप्रबंधक (कार्मिक)/राजभाषा
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
एस. एतिराजु
आंचलिक प्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया, धनबाद अंचल
सुबोध कुमार दत्ता
परियोजना प्रधान
दामोदर घाटी निगम, मैथन परियोजना

सह–संपादक
उदयवीर सिंह
उप प्रबंधक (राजभाषा)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

संपादक मंडल
योगेन्द्र कुमार पासवान
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)
केंद्रीय कोयला आपूर्ति संस्थान, धनबाद
चन्द्रकांत वर्मा
सहायक आयुक्त
सी. एम. पी. एफ. ओ., धनबाद
सहाना चौधरी
हिंदी अधिकारी
केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

संपादक
दिलीप कुमार सिंह
उप प्रबंधक (राजभाषा)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
एवं सचिव, नराकास धनबाद

धनबाद
राजभाषा संदेश
अंक–18, फरवरी
वर्ष 2021
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद की पत्रिका

इस अंक में.............

5 राजभाषा हिंदी का समुचित विकास
8 संस्थान की संस्कृति एवं सकारात्मक व्यवहार
11 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
12 गुर्दा प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांटेशन)
16 संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में सहसंबंध
19 अच्छे मेहमान और अच्छे मेजबान
21 विरोध
22 सरकारी ससुराल
25 भाषाई वर्चस्व और मानवाधिकार का संकट
29 राजभाषा समाचार

काव्य झरोखा

बसंत 10
हम है कोल इंडिया 26
दहेज की होली 27
मिट्टी के दीप 27
अंतर्मन 28
तुम्हारी याद 28

प्रकाशक
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
धनबाद, झारखण्ड
संपर्क सूत्र :
अध्यक्ष कार्यालय
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
राजभाषा विभाग
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद–826005
फोन : 0326–2236463 फैक्स : 0326–2230262
वेबसाईट : www.narakasdhanbad.org.in
ईमेल : narakasdhanbad@gmail.com
dilipsingh83@gmail.com

'धनबाद राजभाषा संदेश' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं । इनसे प्रकाशक / संपादक मंडल / नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं । अतः पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता एवं उनमें व्यक्त विचारों के लिए रचनाकार उत्तरदायी हैं । न्यायिक सीमा, धनबाद।

राजभाषा-विमर्श

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

-डॉ. सुमीत जैरथ

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आमजन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां '**आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए**' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा -हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्पित है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/ मंत्रालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के **"आत्मनिर्भर भारत- स्थानीय के लिए मुखर हों" (self-Reliant India- Be vocal for local)** के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डैक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "**कंठस्थ**" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित होगी।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छः डी

Democracy (लोकतंत्र)

Demand (मांग)

Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)

Deregulation (अविनियमन)

Descent (उत्पत्ति)

Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने **"12 प्र"** की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1. **प्रेरणा (Inspiration and Motivation)** - प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2. **प्रोत्साहन (Encouragement)** - मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3. **प्रेम (Love and Affection)** - वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार

है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा

4. **प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)** - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव(रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5. **प्रशिक्षण (Training)** - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं - **"आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।"** कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए - ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के **आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान** के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6. **प्रयोग (Usage)**- 'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it)। हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7. **प्रचार (Advocacy)** - संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वत: ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8. **प्रसार (Transmission)** - राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे| राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9. प्रबंधन (Administration and Management) - यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह

राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराए, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10. प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)- राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11. प्रतिबद्धता (Commitment) - राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है :

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव **(प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें** और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12. प्रयास (Efforts)- राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं-

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां (Necessary conditions) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां (sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत : सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

सचिव
राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

कार्य-संस्कृति

संस्थान की संस्कृति एवं सकारात्मक व्यवहार

-राज किशोर गोप

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की महत्त्वपर्ण भूमिका होती है। यह उद्योग ही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाते हैं। उद्योगों के द्वारा न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि इससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को भी लाभ पहुंचता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम आपने उद्योगों में एक ऐसी संस्कृति का विकास करें जो कि उद्योगों को नई-नई चुनौतियों का सामना करने हेतु समर्थ बनाये।

वस्तुतः उद्योगों की संस्कृति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मानव जो कि श्रमिक या प्रबन्धक के रूप में प्रत्येक उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह मानव एक ऐसे मस्तिष्क का स्वामी है जो कि उसे सफलता की ऊँचाईयों पर ले जाता है। वस्तुतः यह मस्तिष्क ही उसे पशुओं से भिन्न करता है। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यही मानव उद्योगों की संस्कृति के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव के रूप में विभिन्न पृष्ठभूमि से आए श्रमिक विभिन्न योग्यताओं एवं मान्यताओं के साथ विभिन्न इच्छाओं एवं क्षमताओं से अपनेकार्य को सम्पादित करता है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। उसके मूल्य उसकी इच्छाओं एवं शैक्षिक योग्यताओं की झलक उसके क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकतीहैं। इन विभिन्नताओं के बीच अकेली समानता यह है कि वह एक ही स्थान पर एक निश्चित समूह के साथ एवं सामूहिक तथा निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करता है। इस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों, मूल्यों, सिद्धान्तों, धारणाओं, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, संस्कृतियों से आया श्रमिक अपने संगठन की संस्कृति को आत्मसात करता प्रतीत होता है। उसके कार्य का तरीका उद्योग हित में, इस प्रकार से आत्मसात होता है कि हम कह सकते हैं कि सब मिलकर उस विशेष संगठन की संस्कृति का निर्माण करते है। यह संस्कृति उसकी अपनी संस्कृति से ऊपर उठकर उद्योग की संस्कृति में विलीन हो जाती है और हमें ऐसी संस्कृति के दर्शन होते हैं जिसे हम संगठनात्मक संस्कृति कहते है।

वस्तुतः हर औद्योगिक संस्थान की अपनी एक छवि होती है जो कि उसे बनानी होती है। उसे बनाने एवं निखारने में उसमें कार्य करने वाले मानव की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती। यदि कोई किसी संस्थान का सदस्य है तो उसे बराबर यह देखना चाहिए कि वह ऐसा कोई कार्य नकरे जिससे उसके संस्थान पर गलत प्रभाव पड़ता हो। क्योंकि उस व्यक्ति विशेष के कार्य से औद्योगिक संस्थान की छवि पर असर पड़ सकता है। अत: हमें अपनी संस्कृति को इस प्रकार से विकसित करना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्ति के व्यवहार में देखा जा सके। वस्तुत: किसी संस्थान की संस्कृति को उसमें कार्य करने वाले श्रमिक के व्यवहार में आसानी से देखा जा सकता है। यह आचरण ही है जो किसी व्यक्ति की संस्कृति को परिलक्षित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने उद्योग में ऐसी संस्कृति का विकास करें जिसे कि वहां के उद्देश्य को महत्त्व प्रदान करते हुए ऐसे वातावरण का निर्माण हो जहां पर श्रम एवं श्रमिक को समझा जाए। इसके लिए निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं पर विचार कर सकते हैं।

1. **श्रम के महत्त्व को स्वीकार करना:**

अधिकांश श्रमिकों की यह धारणा है कि जो उसके भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। वस्तुत: इस धारणा में कोई दम नहीं है। सफलता या असफलता प्राप्त करना तो केवल आपके हाथ में है। इससे भाग्य का कुछ लेना-देना नहीं है। भाग्य तथा सौभाग्य तो केवल अनुकूल परिस्थितियों के अवसरों का नाम है और परिस्थितियाँ एवं अवसरों को अनुकूलता प्रदान करने में आप पूर्णतया सक्षम हैं। आप श्रम के द्वारा किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आपका भाग्य तभी आपका साथ निभाता है, समृद्धि प्रदान कराता है जब आप प्राप्त अवसर का बुद्धिमानीपूर्वक सदुपयोग करते हैं। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने में आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता प्रदान करता है। आपका श्रम आपको

समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करवाता है तथा आपका व्यक्तित्व निखर उठता है।

2. उचित संचार:

यह अति आवश्यक है कि यदि हमें संस्थान में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त करना हैं तो वहाँ पर कुशलता से संचार होना चाहिए। अर्थात विचारों का आदान-प्रदान ऐसी कुशलता के साथ हो कि सही व्यक्ति सही अर्थों में सही विषय वस्तु (सूचना) जान सके। अच्छा संचार संस्थान का आवश्यक तत्व है। बिना प्रभावशाली संचार के अच्छे से अच्छा संस्थान भी अपने उद्देश्य में असफल हो जाता है। यह आवश्यक है कि हमें दूसरों से क्या अपेक्षा है तथा इस बात को प्रभावशाली ढंग से उचित माध्यम से कहा जाये। तभी हम आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तथा श्रमिकों में बेहतर अनुशासन के पालन की आशा कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक यह है कि संस्थान में लागू औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेशों की प्रतिलिपि सभी श्रमिकों को उनकी भाषा में इस प्रकार से उपलब्ध करवायी जाये जिससे कि वे अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार कर सकें।

3. वातावरण का निर्माण:

प्रत्येक संस्थान के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां पर कार्य करने के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें कि व्यक्ति कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके। वातावरण के निर्माण का कार्य श्रमिकों एवं प्रबंधकों की आपसी समझ-बूझ पर निर्भर करता है। श्रम एवं श्रमिक के प्रति उचित दृष्टिकोण ऐसे वातावरण की बुनियादी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है मात्र उसे समझने एवं बनाने की। आइये हम इस ओर एक कदम बढ़ाएं।

4. प्रेरणा का योगदान:

प्रत्येक मनुष्य की मानवीय आकांक्षायें ही उसके जीवन को गतिशील बनाये रखती हैं। आकांक्षाविहीन मनुष्य का जीवन उस ठहरे हुए जल के समान है जो शीतल बयार के झोंके को भी अनुभव नहीं कर पाता है। यह आकांक्षा ही तो है, जो आपको सदैव उद्यमशील बनाने का प्रयत्न करती है। यह आवश्यक है कि कार्य में लगा हर व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयत्न करे और इसके लिए आवश्यक है कि उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाये। मानव मस्तिष्क अनंत प्रतिभा की खान है। जिस प्रकार पृथ्वी के हृदय में अनेक बहुमूल्य खनिज एवंरत्न छिपे हुए हैं जो बाहर दृष्टिगोचर नहीं होते तथा जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा पाते, लेकिन जब हम पृथ्वी में इन अमूल्य तत्वों का प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें यही पृथ्वी अनेक उपहारों से पुरस्कृत करती है। हमारा उद्देश्य है कि हम कार्य में लगे मानव को उचित दिशा में प्रेरित कर सकें।

5. सकारात्मक विचारों का बहुगुणन:

आपके सकारात्मक विचार ही आपकी सफलता और आपके संस्थान की अद्वितीय पूँजी है। अतः अपने मस्तिष्क में मात्र सकारात्मक विचारों को ही जन्म लेने दीजिये, उन्हें पनपने दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थान और स्वयं के सम्बन्ध में केवल सकारात्मक विचारों को ही मस्तिष्क में बहुगुणित होने दीजिए। सकारात्मक विचार ही तो हैं जो आपके अन्दर उत्साह का संचार करते हैं, आपकी कार्यकुशलता को अनुपम बनाते हैं तथा आपका सफलता प्राप्ति की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार वह विषय है जो व्यक्ति की रचना शक्ति, जीवन के उत्साह तथा सदाचार का क्षरण करता है। यह विषय व्यक्तित्व के विकास में बाधा खड़ा करता है और व्यक्ति को शनै-शनै रोग शैय्या पर पहुँचा देता है। अतः केवल सकारात्मक विचारों के सृजन में ही अपनी मानसिक शक्ति का सदुपयोग कीजिए और संस्थान की सफलता में अपना योगदान दीजिए।

6. उत्तम सृजनशीलता का मनन:

किसी भी संस्थान की संस्कृति को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उसके कर्मियों में सृजनशीलता हो। सृजनशीलता संस्थान को नये आयाम तक ले जाती है। आप अपने मस्तिष्क से केवल श्रेष्ठता की ही माँग करें और उसे प्राप्त करें तथा मस्तिष्क से प्राप्त श्रेष्ठता के आधार पर अपने अभिनव व्यक्तित्व का सृजन करें। जब आप मस्तिष्क से केवल श्रेष्ठता प्राप्त करने का सदविचार करते हैं तभी वह आपको श्रेष्ठता प्रदान करता है। आपका मस्तिष्क तो यह सर्वप्रदाता है जिससे आप जो चाहेंगे वही प्राप्त करेंगे। इसमें कोई अनुपयोगी विचार माँगने का क्या औचित्य?

इसमें केवल श्रेष्ठ विचार ही माँगिये और श्रेष्ठ विचार से ऐसी सृजनशीलता का विकास कीजिए जो कि आपके संस्थान के विकास में सहायक हो।

7. परिवर्तन ही जीवन है:

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वातावरण के क्रियाकलापों में, जीवन शैली में, जीवन दर्शन में,विचार एवं कार्यों में, आचरण में, यहाँ तक कि मानवीय व्यवहार एवं विश्वास में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यदि परिवर्तन न हो तो इस संसार में जिधर भी दृष्टि डालेंगे वहीं सड़ांध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखेगा।

परिवर्तन दोनों ही दिशाओं में होता है उध्वौन्मुख (ऊपर की ओर) एवं अद्योन्मुख (नीचे कीओर)। ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन ही विकास की संज्ञा से विभूषित होता है जबकि नीचे की ओर होने वाला परिवर्तन पतन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अतिआवश्यक है कि वह इस बिन्दु पर खड़ा होकर गंभीरता से विचार करे कि उसे किस परिवर्तनको प्राथमिकता देनी है। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति विकासशील परिवर्तन का ही आकांक्षी है। इसी आकांक्षा से उसकी विकास पथ पर यात्रा प्रारम्भ होती है। विकास पथ पर कदम बढ़ाने के साथ ही साथ यह आवश्यक हो जाता है कि आप विकास पथ पर गरूड़ दृष्टि रखें और गरूड़दृष्टि प्राप्त करने में जो तत्त्व प्रमुख भूमिका निभाता है वह तत्त्व है आपका अखण्ड उत्साह। यहउत्साह जनित कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता आपको प्रसन्नता, उपलब्धि, लक्ष्य पूर्ति एवं अप्रतिम सफलता से सराबोर कर देती है। आप अपने अखण्ड उत्साह का संबल पाकर दुष्कर कार्य भी हँसते-हँसते संपन्न कर लेते हैं।

आइये संस्थान हित में एक ऐसी सकारात्मक संस्कृति का निर्माण करें, जिससे कि हम संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक टीम के रूप में इस प्रकार कार्य करें जिससे कि मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं एवं समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए आवश्यकता है संस्थान के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति एवं साहसिक प्रयास की जो कि हमारे व्यवहार में स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए।

शिक्षा पदाधिकारी

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, धनबाद

कविता

बसंत

-राजपाल यादव
गुरुग्राम

आया है मधुमास जगीरा
लेकर संग उल्लास जगीरा

रंग बिरंगे फूल खिले हैं
दीख रहे कुछ ख़ास जगीरा

पीले लाल सफ़ेद नारंगी
देखो पुष्प पलाश जगीरा

खेतों में हरियाली छायी
सरसों ख़ासमख़ास जगीरा

भँवरे मंडराते फूलों पर
देख कली को पास जगीरा

प्रेमी जोड़े निकल पड़े हैं
रचने लीला रास जगीरा

हंसवाहिनी माँ आ पहुँची
घर घर करने वास जगीरा

होली का हो रहा अभी से
देखो ये आभास जगीरा

चेहरे सबके खिले हुए हैं
कोई नहीं उदास जगीरा

बसंतपंचमी का छाया है
रंगीला अहसास जगीरा

रितुराज सबको ख़ुशियाँ दें
रब से है अरदास जगीरा

विगत वर्ष बीसीसीएल धनबाद के महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ.स.तथा राजभाषा)पद से सेवानिवृत्त श्री यादव अब हिंदी काव्य जगत का एक नामचीन चेहरा बन चुके हैं। उनके अब तक पाँच काव्य संग्रह,चार साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा दो प्रकाशनाधीन हैं। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत श्री यादव अब तक पचास से अधिक ओन लाइन व मंचीय काव्य सम्मेलनों में भी शिरकत कर चुके हैं तथा उत्कृष्ट सृजन व काव्य पाठ हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में आप साहित्य कला संस्कृति को समर्पित संस्था काव्य कोर्नर फ़ाउंडेशन हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष होने के साथ साथ शीर्षक साहित्य परिषद नए आयाम के गुरुग्राम जिला प्रभारी भी हैं।

आपका गुल्लक

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

-अनिरुद्ध नोनिया

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 'अनुवादक' के पद पर कार्यरत श्री अनिरुद्ध नोनिया, निवेश एवं निवेश संबंधी उत्पादों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका मानना है कि एक खुशहाल जीवन के लिए आय के साथ-साथ सुनियोजित तरीके से सही एवं नियमित निवेश करते रहना भी अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए हमें खुद को शिक्षित करते रहना चाहिए। इस विषय पर इनकी कई रचनाएं पूर्व में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में पेश है इनकी एक और प्रस्तुति......

दोस्तो, अपने इस वित्तीय स्तंभ के अंतर्गत मैंने पूर्व में भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा बचत योजनाओं के तहत संचालित होने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया था और एक उदाहरण के साथ यह बताने का प्रयास किया था कि हम अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अपने पैसों को कैसे सुरक्षित निवेश करके एक चिंतामुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

आइए, अब हम उन्हीं कुछ प्रमुख योजनाओं में से एक योजना **"वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)"** के बारे में विस्तार से चर्चा करें। यह योजना वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को नियमित रूप से एक सुरक्षित एवं सुनिश्चित रिटर्न उपलब्ध कराना है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वैसे भारतीय नागरिक भी इस योजना में निवेश करने के पात्र हैं जिन्होंने "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)" के तहत 55से 60 वर्ष के आयु वर्ग में सेवानिवृत्ति ली हो, शर्त बस इतना है कि उन्हें अपने सेवानिवृत्ति लाभ (रकम) की प्राप्ति के एक महिने के अंदर इस योजना में निवेश करना होगा और निवेश की अधिकतम रकम सेवानिवृत्ति लाभ (रकम) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में कोई भी अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) निवेश नहीं कर सकते हैं।

प्रमुख सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय डाकघर/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस योजना में निवेश किया जा सकता है। सरकार समर्थित बचत योजना होने के नाते सभी जगह इसकी नियम एवं शर्तें एकसमान होती है। एक व्यक्ति अपने नाम से ₹1000 के गुणक में एकमुश्त अधिकतम 15 लाख रुपये तक की राशि निवेश कर सकता है और वह चाहे तो इतनी ही राशि अपने जीवनसाथी के नाम से भी निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक खाता खोल सकता है, किंतु सभी खातों को मिलाकर निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) की परिपक्वता (मैच्योरिटी) अवधि 5 वर्ष है, किंतु आप अगर चाहें तो इसे केवल एक बार और 3 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको एक निर्धारित फार्म में आवेदन करना होता है।

इस योजना में समयपूर्व (प्री-मैच्योरिटी) निकासी का भी प्रावधान है। नियमानुसार खाता खुलने के 1 वर्ष बाद ऐसा किया जा सकता है। यदि यह 1-2 वर्ष के बीच किया जाता है तो 1.5% और यदि 2 वर्ष के बाद किया जाता है तो 1% का जुर्माना काटकर शेष रकम निवेशक को वापस कर दी जाएगी।

यह निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत भी आती है। किंतु इस पर मिलने वाले ब्याज को आपकी आय माना जाता है और निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर आयकर देय होगा। यदि इसपर मिलने वाला ब्याज ₹50,000 प्रतिवर्ष से अधिक होता है तो उस पर टीडीएस कटौती का प्रावधान है।

वर्तमान समय में इस पर 7.4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिल रहा है, जो तिमाही आधार पर देय है, यानी 1 अप्रैल, 1 जूलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। यदि इस योजना की तुलना बैंक सावधि जमा (एफडी) से किया जाय तो हम पाते हैं कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए यह योजना हर लिहाज से बेहतर है। इसे निम्नलिखित तालिका से भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

विशेषताएं	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)	टैक्स सेवर सावधि जमा (एफडी)
ब्याज दर	7.4%	लगभग 6.5% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
परिपक्वता (मैच्योरिटी) अवधि	7 वर्ष	7 वर्ष
कर लाभ (निवेश पर)	हां	हां
कर लाभ (रिटर्न पर)	कर योग्य	कर योग्य
समयपूर्व (प्री-मैच्योरिटी) निकासी	1 वर्ष के बाद अनुमत (शुल्क 1.5%)	अनुमत नहीं

अनुवादक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

स्वास्थ्य-विमर्श

गुर्दा प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांटेशन)

-डॉ. दीपक प्रकाश

किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें रोगग्रस्त किडनी को निकालकर स्वस्थ किडनी प्रतिस्थापित किया जाता है और नयी किडनी तुरंत काम करने लगती है। इसमें कई बार कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। यह एक जीवन रक्षक सर्जरी है। किडनी के बिना मरीज का जीवित रहना मुश्किल है। इसका मुख्य काम रक्त से यूरिक एसिड तथा दूसरे विषैले पदार्थों को फिल्टर कर बाहर निकाल रक्त का शुद्धिकरण करना है। बीमारी की स्थिति में रक्त का शुद्धिकरण प्रभावित होता है और विषैले तथा हानिकारक पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं। समय पर इलाज नहीं कराया गया तो जीवन के लिए खतरा भी बन जाता है।

पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 27 हजार किडनी ट्रांसप्लांटेशन किए जाते हैं। इसमें 6.5 हजार यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील में 1800 तथा भारत में सवा तीन हजार की संख्या भी शामिल है। एक-दूसरे आंकड़े के अनुसार भारत में इसकी संख्या पांच हजार से भी अधिक है। भारत में आधिकारिक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं होने की वजह से निश्चित आंकड़ा बताना मुश्किल है। चेन्नई के मल्टी आर्गन हार्वेस्टिंग एड नेटवर्क फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील श्राफ के शब्दों में -"यह कटु सत्य है कि हमारे पास कोई राष्ट्रीय रजिस्ट्री नहीं है। इस कारण कोई नहीं जानता की भारत में सही रूप से प्रतिवर्ष कितने किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। तीन से साढ़े तीन हजार का ट्रांसप्लांटेशन का आंकड़ा अत्यधिक कम है। प्रतिवर्ष करीब डेढ़ लाख की जरूरत है।"

दुनिया के 69 देशों में जहाँ इसकी सुविधाएं हैं, इसमें गत एक दशक के दौरान पचास फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। दुर्भाग्यवश भारत में इसमें वृद्धि नहीं होरही है। श्री श्राफ इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की कमी, संस्थागत तथा विभागीय सपोर्ट की कमी को जिम्मेदार बताते हैं। मालूम हो कि एक ट्रांसप्लांटेशन में तीन से चार लाख का खर्च होता है। इसके साथ-साथ सर्जरी के बाद दवाइयों में प्रतिमाह करीब 10 हजार का पूरी जिंदगी खर्चा आता है।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. संदीप गुलेरिया के अनुसार- स्वस्थ इंसान की किडनी को रोगग्रस्त मरीजों में प्रतिस्थापित करने के दौरान कई बार कई तरह की जटिलताएं देखने को मिलती हैं। पश्चिमी देशों में तो मृत लोगों की किडनी को मरीज में प्रतिस्थापित करना शुरु किया गया है। इस वजह से किडनी की कमी को बहुत हद तक पूरा किया जा रहा है। भारत में जीवित इंसान की किडनी ट्रांसप्लांट करने की शुरूआत तो की गयी है, किंतु ट्रांसप्लांट एक्ट के बावजूद अभी तक मृत लोगों की किडनी प्राप्त करने के दौरान कई तरह की अड़चनें आती है। समय पर किडनी भी नहीं नहीं मिल पाती है।

किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल आपरेशन है। इसमें रोगग्रस्त किडनी को निकालकर स्वस्थ किडनी प्रतिस्थापित की

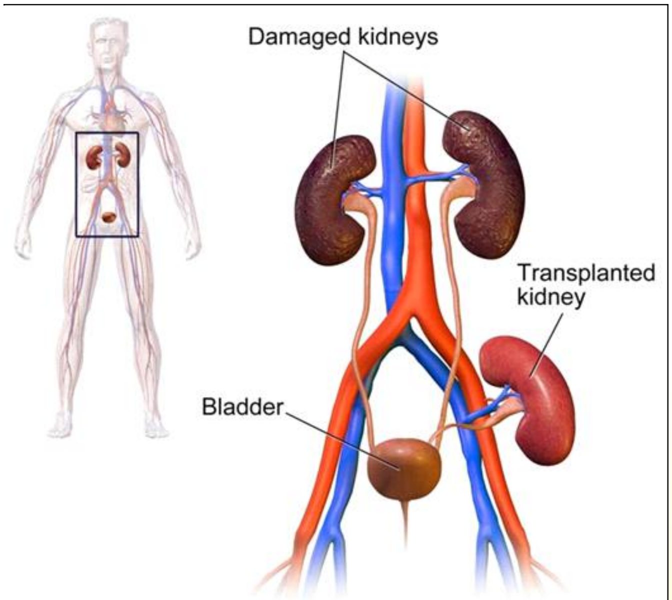

गुर्दा प्रत्यारोपण

जाती है और नयी किडनी तुरंत काम करने लगता है। इसमें कई बार कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। यह एक जीवन रक्षक सर्जरी है। इसके बिना मरीज का जीवित रहना मुश्किल है।

सेम के आकार की करीब 10 सेमी लंबा तथा 6.4 सेमी चौड़ी किडनी रक्त से यूरिया, मिनरल्स, विषैले तथा दूसरे हानिकारक पदार्थों को अलग करती है और पानी, नमक तथा जरूरी लवण का संरक्षण करती है। इसका मुख्य काम रक्त से यूरिक एसिड तथा दूसरे विषैले पदार्थों को फिल्टर कर बाहर निकाल रक्त का शुद्धिकरण करना है। जब कोई मरीज किडनी की बीमारी से जूझ रहा होता है तो रक्त का शुद्धीकरण प्रभावित होता है और विषैले तथा हानिकारक पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे मरीज को कई तरह की

परेशानियां होने लगती हैं। समय पर इलाज नहीं कराने पर जीवन के लिए खतरा भी बन जाता है। शरीर में किडनी की संख्या दो होती है। किंतु जीवित रहने के लिए एक किडनी ही काफी होती है। प्रत्येक किडनी में पर्याप्त रीनल टिश्यु होते हैं, जोप्रतिदिन के कार्यो कोनिष्पादित करने में सक्षम होते हैं।

किडनी रोग के कारण

किडनी रोग मूलतः दो तरह के होते हैं- क्रोनिक तथा एक्यूट। क्रोनिक डिजीज मूलतः शरीर के दूसरे अंगों की समस्याओं की वजह से होती है, जिसे ठीक होने के बाद किडनी की समस्या भी दूर हो जाती है। एक्यूट डिजीज में किडनी खुद रोगग्रस्त होती है। कई बार ठीक होने की संभावना कम होती है और मरीज किडनी फेल्योर या अंतिम अवस्था रीनल डिजीज का शिकार हो जाता है।

डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, संक्रमण तथा क्रोनिक ग्लोमिरुलोनेफ्राइटिस जैसी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका पूरा प्रभाव किडनी की कार्यक्षमता पर पड़ता है। जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में किडनी की बीमारी भी बढती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब किडनी सामान्य कार्य करना सदा के लिए बंद कर देती है। इसे किडनी फेल्योर कहते है। ऐसी स्थिति में हानिकारक पदार्थों को सही तरह से फिल्टर नहीं होने के कारण रक्त में अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित पदार्थ तथा कैमिकल्स का जमाव होने लगता है। इन विषैले पदार्थों का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो किडनी स्थायी रूप से काम करना बंद कर देती है। इसे रीनल फेल्योर कहते हैं।

क्रानिक किडनी फेल्योर पुरानी बीमारियों की वजह से होती है। उच्च रक्तचाप, ग्लोमिरुलोनेफ्राइटिश, किडनी में पथरी या ट्यूमर की वजह से किडनी धीरे-धीरे रोगग्रस्त होने लगती है। एक समय ऐसा आता है, जब किडनी अपना काम पूरी तरह बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहता।

उच्च रक्तचाप के कारण भी किडनी की कार्यशीलता बुरी तरह प्रभावित होती है अर्थात् उच्च रक्तचाप के प्रति किडनी काफी संवेदनशील होता है और यह सीधे तौर पर किडनी को हानि पहुंचाता है। जब किसी कारणवश किडनी की क्षमता में 30 फीसदी से ज्यादा की कमी आ जाती है तभी मरीज में बीमारियों के लक्षण दीखने लगते हैं। इसका भी पता रक्तजांच से ही चलता है, इसकी वजह से मरीज को जब मितली या अपच की शिकायत होने लगती है तो शुरूआती दिनों में किडनी रोग की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। कई बार फेमिली डॉक्टर को भी लगने लगता है कि ऐसा पेट की गड़बड़ी के कारण हो रहा है।किंतु जब किडनी की कार्यक्षमता 10 फीसदी से ज्यादा कम हो जाती है, किडनी फेल्योर या एण्ड स्टेज रीनल डिजीज की स्थिति आ जाती है।।

किडनी फेल्योर के लक्षण

किडनी फेल्योर की स्थिति में मरीजों में कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जो बीमारी की गंभीरता, प्रभावित अंगों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। कई मरीजों में शुरूआत में किसी तरह के लक्षण देखने कोनहीं मिलते। दोनों किडनी मिलकर लक्षण को दबाये रखते हैं और एक-दूसरे की कमी की पूर्ति करती रहती हैं। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है और गड़बड़ियां बढ़ती जाती हैं, लक्षण धीरे-धीरे दिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार इसके रोग की सही-सही जानकारी चिकित्सकों को भी नहीं हो पाती। फिर भी कई सामान्य लक्षण हैं जैसे चेहरे, हाथ, पांव में सूजन, डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी), बार-बार प्यास लगना, धड़कन तेज होना, पेशाब की मात्रा कम होना,बार-बार पेशाब लगना,कन्फ्यूजन, थकान, उल्टी, मिचली, भूख का न लगना, मांसपेशियां, जोड़, छाती में दर्द, खुजली,त्वचा नीला होना, खून की कमी जैसे लक्षणों से इसकी पहचान होने लगती है।

किडनी ट्रांसप्लांटेशन

अंतिम अवस्था रीनल डिजीज या किडनी फेल्योर के मरीजों का डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन से इलाज किया जाता है। डायलिसिस में रोगग्रस्त मरीज के प्रदूषित रक्त को कृत्रिम किडनी की सहायता से साफ किया जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की डायलिसिस मशीन की सहायता ली जाती है। ऐसा सप्ताह में तीन

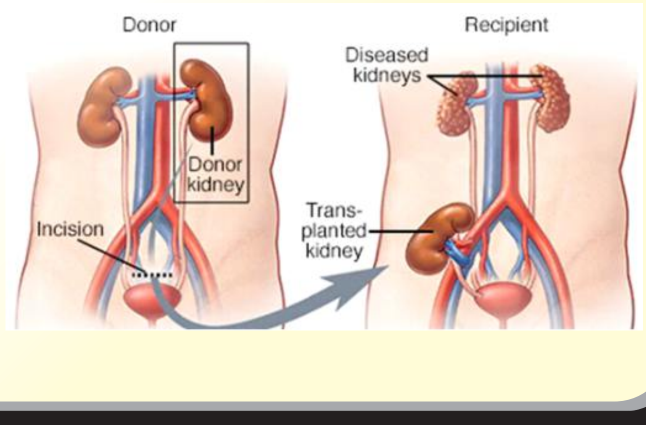

बार करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी विधि है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें रोगग्रस्त किडनी को ऑपरेशन कर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी इंसान का स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपित कर दी जाती है। यह विधि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनायी जा रही है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि हर मरीज को ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता। मरीज को टीबी या बोन का संक्रमण, हाट्र, फेफड़े या लीवर की बीमारियां, कैंसर, दूसरी जानलेवा बीमारी, स्मोकिंग, शराब या नशीली दवाओं की बुरी लत वाले मरीजों की किडनी का ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाता है।

प्रत्यारोपण के लिए किडनी तीन तरीकों से प्राप्त की जाती है-

- जीवित रिलेटेड डोनर-मरीज के नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी से एक किडनी निकालकर प्रतिरोपित किया जाता है।
- जीवित अनरिलेटेड डोनर-मरीज के दोस्त या पत्नी से किडनी प्राप्त किया जाता है।
- मृत डोनर-वैसे व्यक्ति जिसकी मौत तुरंत हो गयी हो और जिन्हें कोई ज्ञात क्रानिक किडनी रोग न हो। हेल्दी किडनी को 48 घंटे तक सेलाइन वाटर में सुरक्षित रखा जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोट्र भी किया जा सकता है। इस बीच डोनर तथा मरीज के रक्त तथा टिश्यू टाइपिंग तथा मैचिंग के लिए काफी समय मिल जाता है।

ट्रांसप्लांट के पहले

जब किसी मरीज को रीनल सेंटर भेजा जाता है तो ट्रांसप्लांट टीम मरीज की पूरी तरह जांच कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई मरीज ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है या नहीं। जब टीम को विश्वास हो जाता है कि मरीज ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त है तो मरीज को जांच की लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है। जब सभी जांच सही होती है तो ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी शुरू की जाती है और डोनर की जांच शुरू होती है। डोनर का भी ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइपिंग से लेकर हार्ट, लंग आदि तमाम अंगो की पूरी जांच की जाती है।

यदि डोनर की सारी रिपोर्ट ठीक होती है तो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जाती है अन्यथा वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और उपयुक्त डोनर मिलने तक इंतजार करने को कहा जाता है।

ऑपरेशन के बाद

किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग तीन से चार घंटे का समय लगता है। मरीज की सर्जरी की शुरूआत तभी की जाती है जब डोनर किडनी मिल जाती है। यदि मरीज डायबिटीज से भी जूझ रहा है तो किडनी के साथ-साथ पैंक्रियाज का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोनों आपरेशन एक साथ करने पर लगभग छह घंटे का समय लगता है। आपरेशन के बाद मरीज को सात से दस दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखने के बाद छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन मरीज को धूल तथा प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में अस्पताल के नजदीक ही कम से कम तीन माह तक रहने की हिदायत दी जाती है और नियमित रूप से एक से दो महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान रक्त और दूसरी जांच एक से दो माह तक की जाती है और देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट की स्थिति क्या है? किडनी को शरीर रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है? या कहीं दूसरी जटिलताएं तो नहीं विकसित हो रही हैं।

सफलता की दर

साइक्लोस्पोरीन नामक नई मेडिसिन के मार्केट में आने के बाद आर्गन ट्रांसप्लांट में एक क्रांति-सी आ गयी। इसकी सफलता की दर मरीज तथा डोनर के टिश्यू टाइपिंग तथा एचएलए मैचिंग के अनुसार निर्धारित होने लगी। निकट के संबंधियों जैसे माता, पिता या बेटे, बेटी के कारण ट्रांसप्लांट में सफलता की दर काफी ज्यादा होने लगी। उसके बाद ही अनरिलेटेड तथा मृत डोनर के किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर आता है। यदि पूरी तरह टिश्यू मैच कर गया तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद मरीज पच्चीस वर्षों तक जीवित रह सकता है। हाफ मैच की स्थिति में जीवन काल 12 तथा अनरिलेटेड तथा मृत डोनर की स्थिति में साढे छह वर्ष जीवन काल होता है। चेन्नई स्थित अपोलो हॉस्पिटल के चीफ यूरोलाजिस्ट डॉ. जे वी थाचिल की मानें तो साइक्लोस्पोरीन के पहले जीवित संबंधियों के टिश्यू पूरी तरह मैच कर जाने की स्थिति में 90 फीसदी मरीज का जीवन काल पांच वर्षों का रहता था। लेकिन, अब इसमें अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हो गयी है। ऐसे मरीजों को पच्चीस वर्षों तक

रिस्क फैक्टर
ब्लीडिंग
डीप वेन थ्रोम्बोसिस
संक्रमण
हार्ट एटैक या स्ट्रोक

जीवित देखा गया है। साइक्लोस्पोरीन के पहले अनरिलेटेड या मृत डोनर के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 35 से 40 फीसदी मरीजों का जीवन-काल लगभग तीन वर्ष था लेकिन अब 78 से 80 फीसदी मरीज मरीज आराम से 5-6 वर्ष तक जीवित रहते हैं।

किडनी ट्रांसप्लांटेशन कानून

भारत सरकार के कानून के मुताबिक केवल संबंधी जिसका किडनी मेडिकली रोगी के लिए देने के कंपेटेबुल है, ही किडनी दान कर सकते हैं। निकट के संबंधियों में माता-पिता, बेटा, बेटी, बच्चे, भाई, बहन तथा दादा, दादी शामिल हैं। निकट के संबंधियों का किडनी बिना सरकारी इजाजत के प्रतिस्थापित की जाती है। दूर के संबंधियों तथा दूसरे लोग किडनी दान करने के लिए इच्छुक रहने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होती है।मृत डोनर के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है।

दलाल का शिकंजा

मानव अंग प्रत्यारोपण का मार्केट भारत में दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसे अधिक से अधिक पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। देश के मेट्रोसिटी में इसका कारोबार नियम-कानून कोताक पर रखकर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गरीब लोगों की किडनी कोमोटी रकम का लालच देकर जरूरतमंद मरीजों कोबेचा जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर रूपयों का लेन-देन होता है। भारत में प्रतिवर्ष पांच हजार प्रत्यारोपण होता है। यहां के सभी बड़े तथा कारपोरेट अस्पतालों में प्रत्यारोपण किया जाता है। निकट संबंधियों द्वारा किडनी दान कानून सम्मत भी हैं।

जोलोग धन देकर अपनी किडनी बेचते हैं, विक्रेता और खरीदनेवाले के बीच एक गुप्त समझौता होता है। दानकर्ता को अस्पताल जाकर ट्रांसप्लांट सर्जन को बताना होता है कि वे मरीज के निकट संबंधी हैं और अपनी एक किडनी मुफ्त में दान करना चाहते है। उसके बाद सीनियर डाक्टर की टीम उस डोनर की पूरी जांच करते हैं, तरह-तरह के टेस्ट करवाते हैं। डोनर के सभी तरह से फिट होने का बाद ही उसकी किडनी मरीज को प्रत्यारोपण के लिए निकाली जाती है।

प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की किडनी खरीद-बिक्री का मुख्य स्रोत आसपास की दवा दुकान होती है। ये इसमें मुख्य भूमिका अपनाते हैं। दक्षिण दिल्ली के एक ख्यातिप्राप्त अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण करवाने वाले रमेश कुमार के शब्दों में - जब मेरा भाई पास की एक दवा दुकान से डायलिसीस ड्रग खरीदने गया तो दुकानदार ने उनसे पूछा कि मरीज किस वार्ड के किस बेड पर भर्ती है। उसके बाद से वहां एक दलाल ने मेरे परिवार से मिलना शुरू किया। मुझे तत्काल एक किडनी की जरूरत थी और मेरे डॉक्टर यह कह चुके थे कि मेरे माता-पिता की किडनी आपसे मैच नहीं करता है।

अंत में, लगभग सभी ट्रांसप्लांट के बाद अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं। जीवित सगे संबंधियों के किडनी वाले मरीज का स्वास्थ्य मृत डोनर की तुलना में ज्यादा स्वस्थ,प्रसन्न और सुखी रहते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा रिजेक्शन की संभावना बनी रहती है। इससे बचने के लिए मरीज को हमेशा इम्युनोसप्रेसिव दवा का सेवन करते रहना पड़ता है। ये दवाइयां मरीज की किडनी को रिजेक्ट करने से रोकती हैं। किंतु इनकी वजह से मरीज को हमेशा संक्रमण तथा कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि मरीज को बीच-बीच में कैंसर की जांच कराते रहना पड़ता है। इन दवाओं की वजह से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज होने की भी संभावना होती है। किसी भी अनहोनी से बचने, अच्छे तथा दीर्घजीवन के लिए नियमित फॉलोअप तथा दवाओं का नियमित सेवन जरूरी है।

-पूर्व चिकित्सा अधीक्षक

केंद्रीय चिकित्सालय, धनबाद

भाषायी-विमर्श

संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में सहसंबंध

– स्वामी विवेकानन्द

(07 मई, 1896 को, लन्दन नगर में 'ज्ञानयोग' विषय पर स्वामीजी का एक व्याख्यान हुआ था। इसे उनके एक अंग्रेज शिष्य श्री जे.जे. गुडविन ने लिपिबद्ध कर रखा था, जिसमें स्वामीजी ने आर्य जाति के इतिहास पर प्रकाश डाला है। स्वामीजी के विस्तृत व्याख्यान में से भाषाओं पर बोले गए अंश को पाठकों के ज्ञानवर्धन के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

करीब सौ साल पहले बंगाल में सर विलियम जोन्स नामक एक न्यायाधीश थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि भारत में मुसलमान तथा हिन्दू लोग निवास करते हैं। हिन्दू लोग वहाँ के मूल निवासी थे। मुसलमान लोग वहाँ आये, उन लोगों पर विजय प्राप्त किया और 700 वर्षों तक उन पर शासन किया। भारत में और भी अनेक विजय अभियान हुए हैं; और जब-जब कोई विजयी जाति आती है, तब-तब उस देश (भारत) के (Criminal Law) आपराधिक कानून बदल दिये जाते हैं। आपराधिक कानून हमेशा विजयी जाति के होते हैं, परन्तु (Civil law) सामाजिक कानून यथावत् बने रहते हैं। अत: जब अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने वहाँ की दण्ड-संहिता बदल डाली। परन्तु सामाजिक कानून पूर्ववत् ही रहे। चूँकि न्यायाधीश अंग्रेज लोग हुआ करते थे और सामाजिक कानून स्थानीय भाषा में लिखे हुए मिलते थे। अत: उन लोगों को दुभाषियों, भारतीय वकीलों आदि की सहायता लेनी पड़ती थी। जब भी भारतीय कानून पर कोई प्रश्न उठता तो इन विद्वानों की सलाह ली जाती थी। ये दुभाषिये घूस लेकर कानून का गलत अर्थ भी बता सकते थे।

इन न्यायाधीशों में से एक - सर विलियम जोन्स अत्यन्त परिपक्व विद्वान थे और वे इन दुभाषियों पर निर्भर रहने की जगह स्वयं ही उनके उद्गम तक जाना चाहते थे, उस भाषा का स्वयं अध्ययन करना चाहते थे। अत: उन्होंने जेंटू (Gentoo) लोगों की कानून व्यवस्था का अध्ययन आरम्भ किया। उन दिनों हिन्दुओं को जेंटू कहा जाता था। यह जेटू सम्भवत: जेन्टाइल शब्द का एक रूप है, जो पुर्तगालियों तथा स्पेनियों द्वारा उपयोग में लाया जाता था या जिसे आजकल तुम (अमेरिकी) लोग 'हीदन'(Heathen) कहते हो।

जज महोदय ने जब कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रारम्भ किया, तो उन्होंने पाया कि उनका सीधे-सीधे अंग्रेजी में प्रामाणिक अनुवाद करना बड़ा कठिन है, परन्तु जब उन्होंने उसी का पहले लैटिन भाषा में अनुवाद करके, फिर उस पर से अंग्रेजी में भाषान्तर किया, तो उन्हें यह देखकर परम आश्चर्य हुआ कि इससे बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद अनुवाद करते समय उन्हें पता चला कि संस्कृत के बहुत सारे शब्द लैटिन भाषा से प्राय: मिलते-जुलते हैं। वे ही पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यूरोप में संस्कृत भाषा के अध्ययन को लोकप्रिय बनाया। जब जर्मनी तथा फ्रांस के लोगों में विद्या का प्रसार होने लगा, तब उन लोगों ने (भी) इस भाषा का अध्ययन आरम्भ कर दिया।

जर्मन विद्वानों ने, अपनी अदभुत विश्लेषण क्षमता द्वारा यह पाया कि संस्कृत तथा यूरोप की सभी भाषाओं के बीच कुछ समानता विद्यमान है। प्राचीन भाषाओं में यूनानी (ग्रीक) ही इसके साथ सर्वाधिक समानता रखती थी। इसके लिथूऑनियन (Lithunian) नाम की एक भाषा जो बाल्टिक सागर के तट पर कहीं बोली जाती थी। उन दिनों लिथूऑनिया रूस से असम्बद्ध एक स्वाधीन राज्य था। लिथुआनियन भाषा आश्चर्यजनक रूप से संस्कृत से समानता रखती थी। उत्तर भारतीय भाषाओं की तुलना में लिथुआनियन भाषा के कुछ वाक्यों को संस्कृत रूप देने के लिए काफी कम बदलाव करना पड़ता था। इस प्रकार यह पता चला कि एशिया को दो भाषाओं -

फारसी तथा संस्कृत और यूरोप में बोली जानेवाली सभी विभिन्न भाषाओं के साथ एक अन्तरंग सम्बन्ध विद्यमान है। इस सम्बन्ध के कारणों के विषय में अनेक सिद्धान्त बनाये गये। प्रतिदिन नये सिद्धान्त बनाये जाते थे और प्रतिदिन उन्हें खण्डित कर दिया जाता था। कहा नहीं जा सकता था कि यह प्रक्रिया कहाँ जाकर थमेगी।

इसके बाद यह सिद्धांत अस्तित्व में आया कि प्राचीन काल में एक जाति थी, जो स्वयं को 'आर्य' कहती थी। उन लोगों ने पाया कि संस्कृत साहित्य एक ऐसी जाति से संबद्ध है, जो स्वयं को आर्य कहा करते थे और उन का उल्लेख फारसी साहित्य में भी प्राप्त होता है। इसके आधार पर उन लोगों ने एक सिद्धांत बनाया कि प्राचीन काल में एक जाति थी, जो स्वयं को आर्य कहा करती थी, संस्कृत बोलती थी और मध्य एशिया में निवास करती थी। इन विद्वानों का विचार था कि यह जाति टूट कर बिखर गयी और यूरोप तथा फारस (ईरान) तक जा पहुँची। वे लोग हर जगह अपनी स्वयं की भाषा ले गये। जर्मन, ग्रीक तथा प्रांसीसी भाषाएँ उसी प्राचीन बोली के अवशेष है और इन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वाधिक उन्नत हुई है।

परन्तु ये सभी परिकल्पनाएँ है और अभी भी इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सका है, ये केवल अनुमान तथा अटकलबाजियां हैं। इन्हें सिद्ध करने में अनेक कठिनाइयां हैं - उदाहरणार्थ, भारतवासी सांवले और यूरोपवासी गोरे क्यों है। यहाँ तक कि इन भाषाओं के बोलनेवाले एक ही राष्ट्र - स्वयं इंग्लैंड में बहुत से लोग पीले और लोग काले बालों वाले क्यों है।

परन्तु यह बात निश्चित है कि बास्क, हंगरी, फिनलैंड तथा तातार के निवासी, इनके अतिरिक्त सभी यूरोपीय, सभी उत्तर भारतीय और पारसी (ईरानी) एक ही भाषा की शाखाओं का उपयोग करते हैं। इन समस्त आर्य भाषाओं - ग्रीक तथा लैटिन में, जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी जैसी आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में, प्राचीन तथा आधुनिक फारसी भाषाओं और संस्कृत में विराट साहित्य सम्पदा विद्यमान है।

परन्तु पहली बात तो यह है कि अकेले संस्कृत साहित्य/भाषा में ही विशाल साहित्य सम्पदा उपलब्ध है, वैसे सम्भवतः इसका तीन-चौथाई अंश निरन्तर होनेवाले विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप नष्ट या विलुप्त हो चुका है, तथापि मुझे लगता है कि संस्कृत साहित्य के अब भी जितने ग्रन्थ बचे हुए हैं, वे संख्या की दृष्टि से यूरोप की किन्ही तीन- चार भाषाओं की इकट्ठी ग्रन्थ संख्या पर भारी पड़ेंगे। यह (संस्कृत) समस्त आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन है और अब तक कोई भी नहीं जानता कि इसमें कितने ग्रन्थ विद्यमान है और कहाँ उपलब्ध हैं। आर्य जाति की संस्कृत बोलने वाली शाखा के लोगों में ही सबसे पहले सभ्यता विकसित हुई, और उन्हीं लोगों ने सर्वप्रथम ग्रन्थों तथा साहित्य की रचना आरम्भ की। उनका यह कार्य हजारों वर्षों तक चलता रहा। कोई भी यह नहीं जानता कि वे कितने हजार सालों तक ग्रंथ लिखते रहे। इस संदर्भ में, ईसा के 3000 वर्ष पूर्व से लेकर 8000 वर्ष तक के विभिन्न अनुमान लगाये गये, परन्तु ये सभी तिथियाँ प्रायः अनिश्चित हैं।

संस्कृत साहित्य के विषय में एक अन्य विलक्षण बात यह है कि किसी अन्य भाषा के समान यह भी अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरी है। ग्रीक, लैटिन या इन सभी विभिन्न भाषाओं पर यदि हम विचार करें, तो देखते हैं कि ये सभी यूरोपीय भाषाएँ काफी आधुनिक थीं। ग्रीक भाषा काफी बाद में आयी, मिस्री तथा बेबीलोन भाषाओं की तुलना में यह मात्र एक शिशु के समान है।

अत: यह संस्कृत भाषा हजारों साल तक बोली तथा लिखी जाती रहने के कारण वस्तुत: अनेक परिवर्तनों में से होकर गुजरी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रीक, रोमन आदि अन्य आर्य भाषाओं का साहित्य संस्कृत की तुलना में काफी परवर्ती काल का रहा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि विचित्र बात तो यह है कि हमें इस संसार में जितने भी प्रचलित ग्रन्थ मिलते हैं, उनमें संस्कृत ग्रन्थ ही

प्राचीनतम हैं और इस साहित्य-राशि को 'वेद' कहते हैं। बेबीलोनियन तथा मिस्री साहित्य में अत्यंत प्राचीन अभिलेख विद्यमान है, परन्तु उन्हें साहित्य या ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे कुछ

टिप्पणियाँ, छोटे पत्र, कुछ शब्द मात्र है। परन्तु परिष्कृत सभ्य साहित्य के रूप में वेद ही प्राचीनतम हैं। वेद एक विचित्र प्रकार की अति प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं और काफी काल तक यहाँ तक कि आज भी अनेक पुरातत्वविदों का विचार है कि वेदों को लिखा नहीं गया था, बल्कि उन्हें मौखिक आवृत्ति से पिता द्वारा पुत्र को हस्तान्तरित करते हुए उनका संरक्षण किया गया था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनके इस मत में परिवर्तन आया है और अब उन लोगों ने यह सोचना आरम्भ किया है कि इन्हें अत्यंत प्राचीन काल में ही लिख लिया गया होगा।

वेदों की संस्कृत भाषा उस संस्कृत से भिन्न है, जिसमें उनकी रचना के करीब हजार वर्ष बाद के उन कवियों तथा अन्य उत्कृष्ट लेखकों की रचनाएँ निबद्ध हैं, जिनके ग्रन्थों का अनुवाद तुम्हें पढ़ने को मिलता है। वेदों की संस्कृत भाषा अत्यंत सरल तथा रचना-शैली प्राचीन थी और संभवतः एक बोलचाल की भाषा थी। परन्तु आज हमें जो संस्कृत प्राप्त है, वह कम-से-कम पिछले तीन हजार वर्षों के दौरान कभी बोलचाल की भाषा नहीं रही है। बड़े ही विस्मय की बात है कि जो भाषा मर चुकी थी, उसी में तीन हजार वर्षों तक विशाल आकार में साहित्य की रचना होती रही। इस मृत भाषा में ही नाटकों तथा कथाओं की रचना होती रही। इस पूरे काल खण्ड के दौरान यह घरों में बोलचाल की भाषा न रहकर केवल विद्वानों तक सीमित रही।

यहाँ तक कि ईसा के जन्म के 560 वर्ष पूर्व बुद्ध के काल में भी बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत का उपयोग बंद हो चुका था। उनके कुछ शिष्य संस्कृत भाषा में शिक्षा देना चाहते थे, परन्तु उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने बताया कि वे आम जनता के शिक्षक हैं, अत: वे लोकभाषा में उपदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार बौद्ध साहित्य उस पाली भाषा में लिखा गया, जो तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी।

यह विशालकाय वैदिक साहित्य हमें तीन समूहों में प्राप्त होता है। 'संहिता' नामक पहला समूह सूक्तों अर्थात् स्तुतियों का संकलन है। 'ब्राह्मण' नामक दूसरा समूह यज्ञों से सम्बन्धित है। और तीसरा समूह उपनिषद कहलाता है। इसके प्रथम दो भाग - स्तुतियाँ तथा अनुष्ठान पद्धतियाँ एकत्र रूप से 'कर्मकाण्ड' कहलाती हैं, और दूसरा उपनिषद अर्थात् 'ज्ञानकाण्ड' कहलाता है। यह वही शब्द है, जिसे तुम्हारे अंग्रेजी में 'नॉलेज' (Knowledge) और यूनानी भाषा में 'ग्नॉस' (Gnos) कहा जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे अग्नि स्टिक' (Agnostic) आदि शब्द बने हैं।

● ● ●

नराकास धनबाद को पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद को वर्ष 2019-20 के लिए पूर्वी क्षेत्र के भाषा क्षेत्र 'क' में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।

इससे पूर्व वर्ष 2018-19 में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद को पूर्वी क्षेत्र में भाषा क्षेत्र 'क' में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी।

संस्कार

अच्छे मेहमान और अच्छे मेजबान

-सीताराम गुप्ता

हमारी संस्कृति में आतिथ्य को बड़ा महत्त्व प्रदान किया गया है। अतिथि को भगवान का दर्जा देते हुए कहा गया है **अतिथि देवोभव:**। इसी का पालन करते हुए अधिकांश लोग घर आए मेहमानों की सेवा-सत्कार में जी जान से लग जाते हैं। जो चीजें स्वयं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए सुलभ नहीं करवा पाते हैं, उन चीजों को अपने मेहमानों के लिए सुलभ करवाने का प्रयास करते हैं। नि:संदेह मेहमाननवाजी अथवा आतिथ्य हमारी संस्कृति ही नहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन का भी महत्त्वपूर्ण अंग है। यह हमें सुसंस्कृत व शिष्ट बनाने के साथ-साथ आनंद भी प्रदान करने में सक्षम होता है। मेरा तो मानना है कि जिन घरों में मेहमान आते हैं और जो आतिथ्य का भरपूर आनंद लेते हैं वही भाग्यवान बनते हैं।

जो व्यक्ति अथवा परिवार मेहमाननवाजी अथवा आतिथ्य में कोताही बरतते हैं, वे अपने परिचितों, मित्रों व रिश्तेदारों में ही नहीं समाज में भी न तो सम्मान ही पाते हैं और न स्नेह ही। हमें घर आए मेहमानों का यथोचित स्वागत-सत्कार करना ही चाहिए। प्रश्न उठता है कि जहां समाज में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है, वहीं क्या अतिथि को अपने इस दर्जे की गरिमा का पालन नहीं करना चाहिए? कई लोग ऐसे भी होते हैं जहां कहीं भी जाते हैं, मेजबान के लिए परेशानी ही पैदा करते हैं। एक अच्छा मेजबान होने के साथ-साथ एक अच्छा मेहमान बनना भी अनिवार्य है। एक मेहमान को भी चाहिए कि वो जहां जा रहा है उनके लिए प्रसन्नता का कारण बने न कि परेशानी का। किसी भी व्यक्ति को कहीं मेहमान के रूप में जाने से पहले कई बातों पर विचार करक लेना चाहिए।

सबसे पहले तो हमारा यही देखना बनता है कि हम जहां अतिथि बनकर जा रहे हैं वहां जाना बनता भी है या नहीं। क्या उस परिवार या व्यक्ति विशेष से हमारे ऐसे संबंध है कि हम बेतकल्लूफ होकर उनके मेहमान बन जाएं? कई लोगों को सिर्फ पता चाहिए और वे ऐसे लोगों के यहां जा पहुंचते हैं जो न तो उन्हें जानते हैं और न उनसे पहले मिले ही होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी के यहां जा टिकना सरासर गलत है। किसी अपरिचित से मिलने जाने में कोई बुराई नहीं क्योंकि ऐसे ही संबंधों का विस्तार होता है लेकिन किसी अपरिचित के यहां जाकर टिक जाना सचमुच बुरी बात है।

किसी के यहां मेहमान बनकर जाने से पूर्व सूचना देना ही नहीं अपितु ये पूछना भी अनिवार्य है कि आप कहीं व्यस्त तो नहीं और हमारे आने से आपको असुविधा तो नहीं होगी। यदि कोई प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे अथवा आग्रह करके बुलाए तभी जाएं अन्यथा नहीं। जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना घोर अशिष्टता है। कई लोग न केवल बिना पर्याप्त सूचना के अथवा असमय स्वयं किसी के यहां मेहमान रूपी भगवान बनकर प्रकट हो जाते हैं, अपितु अपने साथ अपने मित्रों अथवा रिश्तेदारों रूपी देवी-देवताओं को साथ लेकर साक्षात दर्शन देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अब इस भगवत मंडली को साक्षात अपने सम्मुख पाकर मेजबान किस कदर अपने भाग्य पर इठलाने लगेगा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं।

कई लोग जान-बूझकर ऐसे समय में किसी के यहां जाते हैं जब वो सर्वाधिक व्यस्त होते हैं अथवा उनके बच्चों की परीक्षाएं वगैरह होती है। ऐसे नकारात्मक विचारों वाले मेहमानों का मकसदही किसी को परेशान करना अथवा हानि पहुंचाना होता है। ऐसे लोगों को घर में तो क्यागली में भी नहीं घुसने देना चाहिए। न गलत लोगों के यहां जाओ और न उन्हें यहां बुलाओ। कई लोग किसी मेहमान या मेहमान परिवार की गलत हरकतों का बदला लेने के लिए उनके यहां जा पहुंचते हैं और उनसे भी बुरा व्यवहार करते हैं जो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में दोनो पक्ष ही भर्त्सना के पात्र हैं। मेहमान के लिए जरूरी है कि वो मेजबान की इच्छा-अनिच्छा अथवा उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखें।

कई मेहमान बड़े विचित्र होते हैं। आते तो सूचना देकर ही आते हैं लेकिन या तो पहले ही आ टपकेंगे या फिर बहुत बाद में। ये मसला गाड़ी के लेट होने से संबंधित नहीं है अपितु उनकी नियत में खोट का है। आज के युग में कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की समय पर सूचना देनी चाहिए और ये मुश्किल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों को परेशान हाल देखने में ही आनंद आता है। कई बार ऐसे लोगों का मकसद किसी से मिलने का नहीं होता अपितु असमय

पहुंचकर मेजबान की व्यवस्था में कमी ढूंढकर उसे लज्जित करने का होता है। कई बार कुछ लोग मेजबान को आने की व उनकी व्यवस्था करने की सूचना तो दे देंगे लेकिन पहुंचेगे नहीं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए?

कभी घरों में परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कार्यों पर चले जाते हैं और घर पूरे दिन बंद रहता है। कई लोग अपने घरों को किसी दोस्त अथवा रिश्तेदार के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहते। अत: ऐसे में कोई मेहमान बिना बुलाए या बिना सूचित किए आ जाता है तो सचमुच बड़ी परेशानी का कारण बनता है। किसी को अपना घर दूसरों के भरोसे छोड़ने के लिए विवश करना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कोई असामान्य घटना घटित हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? यदि मैं ये कहने की जरूरत करूं कि हमारे ज्यादातर परिचित अथवा मेहमान इस काबिल होते हीं नहीं कि अपना घर उनके भरोसे छोड़कर चले जाएं तो गलत नहीं होगा।
जब लोग बिना किसी पूर्व सूचना के आ धमकते हैं तो कई बार मेजबान को बड़ी असुविधा होती है। शहरों में अधिकांश लोग व्यस्त रहते हैं और उनका कार्यक्रम अथवा दिनचर्या निश्चित होती है।ऐस में यदि बेमौसम बरसात की तरह कोई मेहमान या मेहमान परिवार आ टपकते हैं तो उनका सारा कार्यक्रम चौपट हो जाता है। कई भारी आर्थिक नुकसान भी हो जाता।

बहुत से लोग बहुत महत्त्वपूर्ण अथवा संवेदनशील पदों पर कार्य करते है अत: उनके लिए एकदम से छुट्टी लेना भी संभव नहीं होता। ऐसे में यदि कोई अचानक आकर मेहमान हो जाए तो बड़ी समस्या पैदाहो जाती है। मेजबान कुछ करना चाहते हुए भी विवश होता है। किसी के लिए स्थिति उत्पन्न करना अच्छा नहीं। ऐसा करना आपसी संबंधों के लिए घातक भी हो सकता है।

शहरो में अधिकांश घर अपेक्षाकृत छोटे ही होते हैंऔर बड़े भी हों तो घर के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार ही बेड अथवा दूसरा फर्नीचर होता है। ऐसे में कई मेहमान आ जाएँ तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यदि घर में चार सदस्य हैं और पांच-छह सदस्य लंबे समय के लिए मेहमान के तौरआ जाएं तो क्या हालत होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आज के जमाने में मेजबान की आर्थिक स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में किसी नजदीकी रिश्तेदार का भी उसके यहाँ जाकर मेहमान बनना उचित प्रतीत नहीं होता।

यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से नहीं चाहता कि आप उसके यहाँ मेहमान बनें तो उसके वहाँ जाना निर्लज्जता ही होगी। ऐसी कुचेष्टा कई बारसंबंधों में स्थायी विघटन का कारण भी बन जाती है।कई लोग कहते हैं कि उन्हें तो बस रात गुजारने के लिए स्थान चाहिए, दिन में तो जरूरी काम निपटाने के लिए या घूमने के लिए बाहर ही रहना होता है। खाना भी बाहर ही खाना पसंद करतेहैं। जब आपको मेजबान से कोई लगाव ही नहीं है तो उनके यहाँ मेहमान बनने की क्या औचित्य हो सकता है? होटल का किराया बचानेके लिए? ऐसे लोगों को किसी शरीफ आदमी का बिना वजह परेशान और लज्जित करने की बजाय किसी होटल में ही रुकना चाहिए।

कई लागों को न तो खाने-पीने का शऊर होता है ओर न उठने-बैठने का। न तो खुद अच्छे मेहमान होने का फर्ज अदा करते हैं और न अपने बच्चों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं। न केवल मेजबान का फर्नीचर और दीवारें गंदी कर डालते हैं अपितु कीमती सजावटी सामान भी तोड़-फोड़ डालते हैं। किसी के यहाँ जाकर इतना गंदा और अव्यवस्थित कर डालते हैं कि मेजबान अंदर ही अंदर रो पड़ता है। उनकेबच्चे अपना तांडव जारी रखते हैं और मां-बाप उन्हें रोकने की बजाय उनकी शिष्टता और सदगुणों के पुल बाँधने में ही लगे रहते हैं। कई मेहमान तो उद्दंडता और अशिष्टता की हर सीमा पार कर जात हैं। न तो खुद यथोचित अभिवादन करना जानते अथवा करते हैं और न ही दूसरों केअभिवादन का प्रत्युत्तर ठीक से देना जानते अथवा देते हैं। मेजबान कुछ भी खिलाए-पिलाए हर चीज में मीन-मेख निकाल देंगे।हम तो ये चीज बिल्कुलनहीं खाते परमजबूरी में खानी पड़ती है कोई हमारे घरआए तो हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते। ढेरा सारा खाना जूठा कर देंगे। खाते समय किसी ऐसी चीज की फरमाइश कर देंगे जिसे तत्क्षण पूरी संभव ही न हो। मकसद होता है दूसरों को किसी न किसी बहाने से अपमानित अनुभव करवाना। मेजबान कुछ भी कहे सीधे उसकी बात का खंडन कर देंगे। वो सिर्फ अपनी-अपनी हांकते रहेंगे। दूसरा बोलने का प्रयास करे तो उसकी बात बीच में ही काटकर अपनी कहने लग जाएंगे। वापसी तक किसी न किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न कर देंगे और जाते-जाते कह जाएँगे कि हम तो आज के बाद आपकी देहली पर नहीं चढ़ेंगे।

यह कई लोग

जानते हैं कि हम जहाँ मेहमान होने जा रहे हैं वो लोग हमें पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी बेशर्म होकर उनके घर की कुंडी जा खटखटाते हैं। वहाँ रहंगे भी और रोब भी गालिब करेंगे। बातें भी ऐसे करेंगे जैसे यहाँ आकर मेजबान के परिवार पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। यदि वो नहीं आते तो मेजबान महत्त्वहीन ही रह जाता। मेजबान को ये जताने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं हैं अपने घर से आते समय घर का कुछ बेकार सामान उपहार के तौर पर मेजबान के परिवार के लिए लेते आएँगे अथवा ठहरने के दौरान आते-जाते कहीं से दस-बीस रुपल्ली की गली-सड़ी सब्जियाँ अथवा फल खरीद लाएँगे। ये कहाँ की शालीनता अथवा शिष्टता है।

हम कहीं भी जाते हैं तो प्यार-प्रेम के वशीभूत ही जाते हैं। हमारे आने-जाने में प्यार-प्रेम बढ़ना चाहिए घटना नहीं चाहिए। जहाँ प्रेम-प्यार अथवा आदर-सम्मान न हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। कविवर रहीम बिलकुल सही कहते हैं :

आवत ही हरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह,
रहिमन तहाँ न जाइए कंचन बरसे गेह।

हम शहरों में रहें अथवा गाँवों में, अमीर हों अथवा गरीब, बहुत पढ़े-लिखे हों या कम पढ-लिखे अच्छे मेहमान और अच्छे मेजबान बन सकें तो हमारे संबंध सचमुच आत्मीय व अर्थपूर्ण हो जाएँ इसमें संदेह नहीं।

ए.डी.-106-सी, पीतमपुरा,
दिल्ली-110034

लघु कथा

विरोध

-कृष्ण मनु

लिखने में व्यस्त मंडल साहब के सामने एक नोटशीट रखकर जयहिंद गैरेज का मालिक अफजल सामने की कुर्सी पर बैठ गया। नोटशीट पर सरसरी निगाह डालते हुए उन्होंने पूछा-" क्या है?"

-"खुद ही देख लीजिए।"

-"देख लिया। एक बात बताइए, रोड रोलर की मरम्मत के लिए दो लाख का प्रपोजल किसने बनया?"

-"........ ।"

- "मरम्मत हो जाने पर इंस्पेक्सन किसने किया?"

-"........।"

- "आप चुप क्यों हैं?काम आपके गैरेज में ही संपन्न हुआ है न?"

इस बार अफजल तिलमिला गया, "आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं, साहब?बड़े साहब ने कहा है, सर्टिफाइ करके साइन कर दीजिए। "उसकी आवाज में धौंस का पुट था। वह साहब के आगे थोड़ा झुक गया। धीमी आवाज में कहा- "आपका हिस्सा मिल जाएगा।"

-"आपको जो कहना था, कह दिया। अब आप जाइए।"

उसके जाने के बाद मंडल साहब जल में रहकर मगर से बैर लेकर कैसा बचा जाए की योजना बनाने लगे।

सेवानिवृत्त अधिकारी
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

हास्य - प्रहसन

सरकारी ससुराल

-डॉ. ऋषि माहन श्रीवास्तव

पात्र परिचय-

1.	सुरेन्द्र बाबू	-	आफिस में क्लर्क, उम्र लगभग 50 वर्ष
2.	मालती	-	सुरेन्द्र बाबू की धर्मपत्नी, उम्र लगभग 45 वर्ष
3.	सुनील	-	नकली दामाद, उम्र लगभग 22 वर्ष
4.	वीरेन्द्र कुमार	-	सुनील के नकली पिता, उम्र लगभग 50 वर्ष
5.	दीपक	-	सुरेन्द्र बाबू का साला, उम्र लगभग 30 वर्ष

प्रथम दृश्य

(कमरे में होने वाली आपसी बातचीत)

मालती - क्यों जी, सुनते हो?

सुरेन्द्र बाबू- हां मैडम। कहिए मैं सब सुन रहा हूं।

मालती - तुमने कुछ देखा है। मोहल्ले में सब लड़कियों की शादी होती जा रही है।

सुरेन्द्र बाबू- अब शादी तो सबकी होती ही है, कोई दुनिया को आठवां आश्चर्य तो हो नहीं रहा। गधों की भी शादी हो जाती है।

मालती- यह आश्चर्य ही हो जाएगा जब तुम अपनी लाड़ली के बारे में कुछ नहीं सोचोगे?

सुरेन्द्र बाबू- अब मैम साहब, ही बतला दें, कि हम अपनी लाड़ली के बारे में क्या सोचें?

मालती- तुम तो पूरे बुद्धू ठहरे। देखा जी, अपनी सुमन भी सयानी हो गई है। उसकी सहेलियां दो-दो बच्चों की मां बन गई है, मगर वह बेचारी।

सुरेन्द्र बाबू- अभी सुमन की उम्र ही क्या है, तुम्हें तो फालतू की चिंताएं हो जाती हैं।

मालती- (तुनककर) हां-हां मुझे तो .... फालतू की चिंताएं हो जाती हैं। कहीं कुछ हो गया तो जमाने को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।

सुरेन्द्र बाबू- क्या मुश्किल हो जाएगा?

मालती- तुम तो कुछ समझते ही नहीं! बस, दिन-रात आफिस की फाइलों में सिर खपाए रहते हो, कभी-कभी दुनियादारी की भी सोच लिया करो।

सुरेन्द्र बाबू- मेरी समझदार धर्मपत्नी जी, मैं बुद्धूराम ही ठहरा, मेरी सुमन बेटी बहुत समझदार है। उसे कोई खतरा नहीं है- इस दुनिया से।

मालती- देखो जी, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। हमारा-तुम्हारा जमाना गया। लड़कियों को बहुत जल्दी गलत हवा लग जाती है।

सुरेन्द्र बाबू- अरी मेरी हृदयेश्वरी मालती जी, आज तो तुम न जाने कैसी-कैसी बातें कर रही हो। मेरी बिटिया को कोई हवा नहीं लगने वाली। मुझे उस पर पूरा विश्वास है।

मालती- तुम्हें तो कोई चिंता नहीं, उसकी सभी सहेलियां ससुराल पहुंच रही हैं।

सुरेन्द्र बाबू- तुम बिल्कुल परेशान न हो वह भी जल्दी ही ससुराल पहुंच जाएगी। मैंने कल से अखबार वाले से कह दिया है वह अखबार दे जाया करेगा। संडे के अखबार में खूब वैवाहिक-विज्ञापन छपते हैं।

मालती- (चिढ़कर) मैं सुमन की शादी की बात कर रही हूं और तुम हो कि अखबार वाले की बात करने लगे।

सुरेन्द्र बाबू- अरे वही तो कह रहा हूं कि अखबार में ढेरों लड़कों के नाम पते होते हैं। कहीं न कहीं बात जम ही जाएगी।

मालती- हे राम। क्या जमाना आ गया अब अखबार से शादियां होने लगीं। एक अपना जमाना था कि मोहल्ले में निकलते हुए किसी ने देख लिया और पसंद कर लिया।

सुरेन्द्र बाबू- यही तो फर्क है मालती रानी जी तुम्हें तो मरे बाबू जी ने सब्जी मंडी जाते-जाते पसंद कर लिया पर आजकल तो लड़के-लड़कियां साथ-साथ घूमने जाते हैं।

कभी-कभी तो दो-चार दिन साथ-साथ रहते हैं, तब पसंद करते हैं।

मालती- मुझे तो अपनी सुमन बिटिया की चिंता है, कैसी होगी उसकी शादी?

सुरेन्द्र बाबू- अरे ये सब मुझ पर डाल दो-चिंता तुम बिल्कुल न करो।

द्वितीय दृश्य

(आपसी बातचीत)

सुरेन्द्र बाबू- (पुकारते हुए) अरे भाई मालती कहां हो?

मालती- (वहीं से) आ रही हूं चलो आ गई (पास आकर) अब बोलो, क्या फरमा रहे हैं जनाब।

सुरेन्द्र बाबू- अरे भाई मैंने जिन-जिन लड़कों के घर पत्र लिखे थे, उनमें से एक लड़का अपने पिता के साथ सुमन को देखने आ रहा है।

मालती- (खुशी से) अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने तो बहुत जल्दी इस बारे में सोच लिया।

सुरेन्द्र बाबू- अब तुम कहो, और मैं सोचूं भी नहीं। तुम्ही तो कह रही थी कि तुम्हें सुमन के हाथ जल्दी पीले करने हैं।

मालती- (गंभीरता से) पर एक बात है- अखबार के विज्ञापन वाले लड़कों की पूरी जानकारी ले लेना, मिसेज तिवारी कह रही थीं। अखबारों में विज्ञापन कभी-कभी बड़ी जालसाजी वाले भी होते हैं।

सुरेन्द्र बाबू- अरे ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सब देख लूंगा। पूरी जानकारी कर लूंगा तभी शादी के लिए हाँ, करूंगा।

तृतीय दृश्य

सुरेन्द्र बाबू- (अपनी पत्नी से) देखो जी आज 25 तारीख है। मैंने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है। बस, अब लड़के वाले देहरादून एक्सप्रेस से आने ही वाले हैं।

मालती- (लापरवाही से) अरे, आप चिंता क्यों करते हैं। मैंने देहरादून वालों के लिए ढेर सारे व्यंजन बना रखे हैं। वे लोग नाश्ते और खाना खाते वक्त अपनी उंगलियाँ चाटते रह जायेंगे।

सुरेन्द्र बाबू- (धीरे से, व्यंग्य) मैं भी तो पिछले 20 सालों से ऊंगलियाँ ही चाट रहा हूं।

मालती- (चिढ़ते हुए) क्या कहा तुम्हें मेरी बनाई चीजें पसंद नहीं हैं।

सुरेन्द्र बाबू- क्यों नहीं मैम साहब। मैं भी तो सच कह रहा हूं। तुम्हारे हाथ की चीजें खाते-खाते ही मेरी ऊंगलियाँपतली हो गई हैं।

चतुर्थ दृश्य

(दरवाजे पर खट-खट-खट की आवाज)

सुरेन्द्र बाबू- लगता है, शायद वे लोग आ गए। तुम भीतर जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूं।

सुरेन्द्र बाबू- (दरवाला खोलते हुए) सामने देखकर आइए....आइए। मैं आपलोगों का ही इंतजार कर रहा था। आप ....?

वीरेन्द्र कुमार- जी मैं वीरेन्द्र कुमार हूं। ये मेरा लड़का है सुनील,सुनील रायजादा।

सुरेन्द्र बाबू- अरे-अरे, आपलोग बैठिए तो... खड़े क्यों हैं?

वीरेन्द्र कुमार- जी अब आए हैं तो बैठेंगे ही, कुछ खाएंगे-पीएंगे भी। अभी तो सीधे स्टेशन से चले आ रहे हैं।

सुरेन्द्र बाबू- जी.... बिल्कुल, आप बैठिएतब तक मैं आपलोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूं।

वीरेन्द्र कुमार- आप लड़की भी जल्दी दिखा देगें, सब कुछ जल्दी तय हो जाए तो ठीक रहेगा।

सुनील- हां, बाबू जी, आप सही कह रहे हैं।

(सुरेन्द्र बाबू भीतर जाते हैं, और मालती से बात करते हैं)

सुरेन्द्र बाबू- मालती, उनलोगों के लिए जल्दी से नाश्ता भेजो, चाहो तो फिर सुमन को भी साथ-साथ ड्राइंग रूम में भेज देना।

मालती- अरे आप चलिए, उनलोगों से बात करिए। नाश्ता दीपक लेकर आता है।

(सुरेन्द्र बाबू वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं)

सुरेन्द्र बाबू- आपलोग 'फ्रेश' आदि हो लें। नाश्ता आ रहा है।

वीरेन्द्र कुमार- जी, हमलोग बिल्कुल फ्रेश हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें।

(तभी दीपक नाश्ता लेकर आता है)

दीपक- जीजा जी, ये नाश्ता आ गया है आपलोग नाश्ता करिए। सुमन अभी तैयार होकर आती है।

वीरेन्द्र कुमार- हां, हां हमलोग नाश्ता करते हैं तब तक बिटिया आ ही जाएगी।

सुरेन्द्र बाबू- (आवाज देते हुए) अरे भई मालती, सुमन को लेकर आओ।

मालती- अभी थोड़ा रूकिए। वह तैयार हो रही है।

सुरेन्द्र बाबू- ये मेरा साला दीपक है, जो भोपाल से आया है।

दीपक- (इशारे से) जीजा जी, जरा मिनट को भीतर चलिए मुझे कुछ जरूरी काम है।

वीरेन्द्र कुमार- दीपक बेटे, जो बात कहनी है- यहीं कह दो न। आखिर हमलोग भी इस घर के लोगों में शामिल हो रहे हैं। भला हमसे कैसी शर्म।

सुरेन्द्र बाबू- (हां में हां मिलाते हुए) दीपक बेटे, वीरेन्द्र कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ कहना हो, यहीं कह दो न।

दीपक- नहीं जीजा जी, यहाँ कुछ नहीं कह सकता। आप जरा दो मिनट के लिए भीतर चालिए।

सुरेन्द्र बाबू- (उठते हुए) आप लोग तब तक नाश्ता कीजिए मैं अभी दीपक से बात करके आता हूं। (सुरेन्द्र बाबू दीपक के साथ भीतर चले जाते हैं)

सुरेन्द्र बाबू- कहो दीपक, तुम क्या कह रहे थे, जल्दी कहो?

दीपक- जीजा जी, मैं इन दोनों को पहचान गया हूं। ये दोनों एक नम्बर के 420 हैं। भोपाल के अखबारों में तो इन दोनों बदमाशों के फोटो तक छप चुके हैं।

सुरेन्द्र बाबू- क्या कह रहे हो दीपक...।

दीपक- जीजा जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं- मैंने इन लोगों को अच्छी तरह पहचान लिया है। नकली नामों से ये मेरे एक दोस्त की बहन के लिए शादी तय करने भोपाल भी आए थे। तब इनकी अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी।

सुरेन्द्र बाबू- (तुनककर) अच्छा तो ये बात है, तभी वे सब बात जल्दी तय करने की कह रहे हैं। दीपक तुम जल्दी से पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा जी को टेलीफोन कर दो। तब तक मैं उन लोगों के पास ही बैठता हूं।

दीपक- मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूं जीजा जी।

थोड़ी देर बाद .....

वीरेन्द्र कुमार- (सामने पुलिस वालों को देखकर) अरे .... अरे .... ये पुलिस वाले, कहां से चले आए?

सुरेन्द्र बाबू- वीरेन्द्र बाबू, ये पुलिस वाले थाने से आए हैं।

वीरेन्द्र कुमार (हकलाकर) मगर इन सबका यहां क्या काम है? जो ....

सुरेन्द्र बाबू- घबराइए नहीं जनाब, आपकी सारी पोल-पट्टी खुल गई है।

सुनील- मगर, मैं तो यहां अपनी होने वाली ससुराल आया था।

सुरेन्द्र बाबू- हां, सुनील बाबू, आप ससुराल ही आए हैं। मगर मैं आपको ऐसी ससुराल पहुंचा रहा हूं जो पूरी तरह 'सरकारी-ससुराल' है।

सुनील- ये, क्या कहा आपने। सरकारी-ससुराल।

सुरेन्द्र बाबू- (हंसकर) हां सुनील बाबू, अब तक बहुत लोगों को उल्लू बना चुके हो, बार-बार शादी रचा कर। अब हवा खाना हवालात की।

सुनील- (रोते हुए) मुझे माफ कर दीजिए अब मैं ....

वीरेन्द्र कुमार- हां, सुरेन्द्र बाबू हमें भी माफ कर दीजिए। अब मैं नकली दामाद का नकली पिता नहीं बनूंगा।

सुरेन्द्र बाबू- वीरेन्द्र कुमार और सुनील कुमार, अब तो आपको सरकारी-ससुराल जाना ही पड़ेगा। अब तो आप थानेदार साहब के मेहमान हैं। थानेदार साहब के मेहमान।

(सब हंसते हैं)

एस-1 नित्यानंद विला,
कमलेश्वर कॉलोनी,जीवाजीगंज लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.)

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर विशेष

भाषाई वर्चस्व और मानवाधिकार का संकट

-अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी

भूमंडलीकरण ने पूंजी के केंद्रीयकरण का काम सबसे ज्यादा किया, उसने जो जीवन का रास्ता दिखाया, वह यह कि सुदूर गांव के लोग एक बेहतर जीवन की उम्मीद लिए गांव से नगर, नगर से महानगर और महानगर से वैश्विक नगरों में पलायन को मजबूर हों। जाहिर है, एक व्यक्ति का अपने मूल स्थान से विस्थापित होने में सिर्फ शरीर का भौतिक स्थानांतरण नहीं, बल्कि उसका मूल परिवेश से भाषिक और सांस्कृतिक विच्छेदन भी होता है। हालांकि फिजी और मॉरीशस जैसे कुछ देशों में गिरमिटियाई विस्थापन को कुछ हद तक अपवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यहां भी दो बातें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। प्रथम यह कि इतिहास का वह विस्थापन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समूह या सामाजिक स्तर पर हुआ था। दूसरा, सामूहिक विस्थापन के बावजूद आज इन देशों की सांस्कृतिक और भाषाई समग्रता में मिश्रण स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।

बहरहाल, भूमंडलीकरण की घोषणा के बाद होने वाला स्थानांतरण सिर्फ पैदल, बैलगाड़ी, तांगा या साइकिल से चल कर नहीं होता है, बल्कि इस रास्ते में ट्रेन और हवाई जहाज भी आते हैं, जिसके लिए टिकट और वीजा भी लेना पड़ता है। इन सबके चक्कर में सामने मोटी कमाई का सपना सबसे ऊपर होता है और अपनी मूल भाषा और संस्कृति की चिंता सबसे नीचे या नहीं के बराबर होती है। आगे इस सपने का स्थानांतरण भी पीढ़ीगत हो रहा है, फलस्वरूप उन्हीं दूर-दराज गांवों के इर्दगिर्द तेजी से पसर रहे निजी कानवेंट स्कूलों ने भारतीय मध्यवर्गीय अभिभावकीय चिंताओं में खुद को फिट कर लिया है आज हालत यह है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, वहां के पूरे भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बातों में विभेद हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई विभेद नहीं है कि अगली पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े। इस स्तर पर अगर मूल्यांकन हो तो यह स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जितनी भाषाई अधीनस्थता की स्थापना अंग्रेजों ने सैकड़ों साल में शासन करके नहीं किया, उससे अधिक नुकसान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की नीतिगत-रिक्तता, सूचना प्रौद्योगिकीय प्रसार और भौतिकवादी जीवन की चाह ने किया है। महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया था कि उस समय जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते-समझते थे, उन तक अंग्रेजों का आधिपत्य उस तरह नहीं पहुंचा था, जिस तरह अंग्रेजी जानने वाले लोगों तक पहुंचा था। जबकि आज तो सूचना प्रौद्योगीकीय साधनों के माध्यम से सूचना और सूचना के माध्यम की भाषा यानी अंग्रेजी प्रायः हर परिवार तक पहुंची है।

बहरहाल, आज जिस विकास के मॉडल को हमने अपनाया है, उसमें उस मान्यता को धक्का लगा है कि धरती पर होने के कारण सूरज की ऊर्जा, पेड़ों द्वारा मिले शुद्ध आक्सीजन और जल स्रोत पर हमारा समान अधिकार है, क्योंकि आज देश के अनेक महानगरों के अनेक हिस्से ऐसे हैं, जहां इन तीनों पर हमारा अधिकार नहीं है। दिल्ली जैसे महानगरों में शायद ही किसी को बिना मशीन के साफ किए पीने लायक पानी मिलता हो। दूसरी ओर शुद्ध आक्सीजन के लिए भी मशीनें बिकनी शुरू हो चुकी हैं। इन सबके मूल में विस्थापन एक बड़ा कारण है, जिससे भाषाई मानवाधिकार का भी हनन होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना गांव छोड़ कर नगर की ओर कूच करता है, तो अधिकांश स्थितियों में अपनी भाषा वहीं गांव में छोड़ कर जाता है।

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने किसी व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट किया है कि 'कोई व्यक्ति अपने जीवन की परिधि में अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, चाहे वह दूसरों के साथ संबंधों में प्रवेश कर रहा हो या अकेले। समिति का विचार है कि किसी व्यक्ति का उपनाम (और नाम) उसकी अस्मिता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और किसी की निजता के साथ मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ संरक्षण में किसी के स्वयं के नाम को चुनने और बदलने का अधिकार शामिल है।' जबकि हाल में आस्ट्रेलिया में अनेक भारतीय छात्रों पर प्राणांतक हमले इन्हीं आधारों पर हुए हैं।

हालांकि यूरोपीय संदर्भों में किसी सार्वजनिक स्थल पर अल्पसंख्यक भाषा के निजी उपयोग जैसे- सार्वजनिक सड़कों पर अपनी भाषा में निजी बातचीत करना या सार्वजनिक पार्क में इसके उपयोग पर कोई सरकारी प्राधिकरण प्रतिबंध लगाता है, तो इस तरह के प्रयास को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि वैधानिक प्रावधानों से परे वास्तविक धरातल पर क्या व्यवहत है, उसका भी परीक्षण होना चाहिए। दूसरा यह कि अल्पसंख्यक भाषाभाषी किसी ऐसे आभिजात्य स्थल पर क्या अपनी भाषा के बल पर पहुंच पाता है? अगर वृहत्तर भाषा के बल पर वहां पहुंच भी जाए, तो क्या उस व्यक्ति में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि अपनी भाषा में अपने विचार रख सके?

भारत जैसे देश में कुछ साल पहले मुंबई के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब एक वक्ता ने अंग्रेजीमय माहौल में अपनी बात हिंदी में रखी थी, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सैम पित्रोदा ने पूरी सभा से इसके लिए माफी मांगी थी। ध्यान रहे कि यह स्थिति हिंदी के साथ थी। अगर यह बात दिमासा, तुलु और भीली के साथ होती, तो क्या होता? हालांकि किसी बहुभाषिक देश के सार्वजनिक स्थल पर नितांत अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ समेकित न्याय नहीं हो पाता और कई स्तरों पर यह व्यावहारिक भी नहीं लगता, लेकिन देश की किसी सभा में हिंदी में बोलना अपराध नहीं है, जिसके लिए माफी मांगी जाए। ध्यान रहे कि भाषिक मानवाधिकार के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी राष्ट्र-राज्य से अपेक्षित होती है, जिससे हम सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की

अपेक्षा करते हैं। लेकिन यह भी सही है कि देश की संसद में भी यह अधिकार सुनिश्चित नहीं है। देश की बाईस संविधान-संरक्षित भाषाओं में भी यह अधिकार नहीं है। इनमें से अधिकांश भाषाओं में किसी के बोलने और सदन के शेष सदस्यों को उसके समझने की व्यवस्था की पहल तो वर्तमान राज्यसभा के सभापति द्वारा की जा रही है।

किसी राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक उसी राष्ट्र के मूलभूत अंग होते हैं और इस तरह से प्रत्येक नागरिक के भाषा, भेष और परिवेश की जिम्मेदारी भी उसी राष्ट्र-राज्य की होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भाषा वर्ष' घोषित किया था हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' के एक कार्यक्रम में उत्तराखंड की रंग-भाषा के संरक्षण के प्रयासों को संदर्भित करते हुए लोगों से अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदित होने की अपील भी की थी। लेकिन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का मुद्दा इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि इनसे शिक्षा और रोजगार के सवाल सीधे जुड़ते हैं, जिस पर देश में अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है।

किसी भाषा का संरक्षण सिर्फ भाषा के अस्तित्व का संरक्षण नहीं होता, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत, देश की विविधता का एक अनिवार्य रंग, वैश्विक प्रतिरोध के लिए आवश्यक एक दीवार और सबसे बड़ा एक व्यक्ति की प्राथमिक क्षमता का संरक्षण और संवर्धन होता है। स्वतंत्रता की मूल भावना के अनुरूप ही हम सब अपनी भाषा के प्रति सजग रहें, लेकिन दूसरों की भाषा के प्रति संवेदनशील भी हों। इस सबका एक ही रास्ता है कि वापस गांवों की ओर लौटा जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबका विकेंद्रीकरण हो, जो सुदूर गांवों तक पहुंचे इसमें महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था के मॉडल और रवींद्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति के बीच से भविष्य की पीढ़ी के लिए रास्ता निकाला जाए, तभी हम एक आदर्श समाज, लोकतंत्र और देश बना सकते हैं। अंतिम व्यक्ति के संविधान-प्रदत्त अधिकारों, चाहे वह भाषाई ही क्यों न हो, के संरक्षण के बिना हम सफल लोकतंत्र की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में पूंजी, संसाधन या भाषाई क्षमता के केंद्रीयकरण का विपरीत प्रभाव ही होता है।

सहायक प्रोफेसर
संकटग्रस्त भाषा केंद्र
विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल

कविता

हम हैं कोल इंडिया

-रोशन कुमार सिंह

हम हैं कोल इंडिया हम देश संभाला करते हैं
भारत के इस मिट्टी से कोयला निकाला करते हैं

घरों की कोई बात न पूछे, कब का रोशन कर डाला है
अब तो मानव के प्रति हृदय में हम दीप जलाया करते हैं

अंधेरे से जूझ कर हम प्रचुर ईंधन तोड़ लाते हैं
भूमिगत छुपी चट्टानों से हम राष्ट्र शक्ति निकाला करते हैं

पत्थर की तू बात न कर कोयले का अपमान न कर
अब तो उस खान से हम हीरे निकाला करते हैं

माना काले रंग से प्रेम हमें, लेकिन सपना हमारा तो रंगीन है
कोयले की इस कालिख में हम हृदय सफेद रखा करते हैं

कौन मानेगा बात हमारी पत्थर पर पेड़ उगा दिया
प्रेम भी है इस धरा से, हम प्रकृति भी संभाला करते हैं

राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र प्रगति रग-रग में है रचा बसा
कृत संकल्प कर हर वर्ष हम लक्ष्य निर्धारित किया करते हैं

हैं कितने ही घर बसाये कितनों को हमने पंख लगाए
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर हम भविष्य संवारा करते हैं

सुन रे आसमां यदि तुम्हें भी बिजली पैदा करनी हो तो
आकर सौदा कर लेना हमसे, हम कोयले बेचा करते हैं

हम हैं कोल इंडिया हम देश संभाला करते हैं
भारत के इस मिट्टी से कोयले निकाला करते हैं

सामान्य मजदूर, कार्मिक विभाग
सिजुआ क्षेत्रीय कार्यालय, बीसीसीएल

कविता

दहेज की होली

-लक्ष्मीचंद्र

लाखों घर बरबाद हो गए इस दहेज की होली में,
अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में।

कितनों ने अपनी कन्याओं के पीले हाथ कराने में,
कहां-कहां मस्तक टेके हैं अपनी लाज बचाने में।

जिस पर बीती वही जानता शब्द नही ये कहने में,
कितनों ने बेचे अपने मकान अब तक अपने रहने को।

गहने खेत मकान रख दिए सिर्फ मांग की झोली में,
लाखों घर बरबाद हो गए इस दहेज की होली में....

फिर भी रुके नहीं अब तक मानवता की भाषा में,
अपनी मांग बढ़ाते जाते परधन की अभिलाषा में।

यही हमारा मनुज रूप है क्या गंदी इसी निराशा में,
लड़की वाले भटका करते शुभ मुहुर्त की आशा में।

आग लगे इस दहेज की मानवता की होली में,
लाखों घर बरबाद हो गए इस दहेज की होली में...

अब भी मानो लड़केवालों कन्याओं की शादी में,
नही पाप कर कदम बढ़ाओ पर हार की बरबादी में।

तुमको भी दुःख होगा अपनी कन्याओं की शादी में,
मन ललचाना बंद करो धैर्य रखो निज थाती में।

कथन यह गलत न समझो भरो न पैसा झोली में
लाखों घर बरबाद हो गए इस दहेज की होली में...

कांस्टेबल ड्राईवर
सीआईएसएफ बीसीसीएल इकाई

मिट्टी के दीप

-मेहुल मयंक

धरा मिट्टी से दीपों का, करता सृजन कुम्हार है,
रात्रि में जलता जब ये, डरता वो अंधकार है।

जन्म लेता कच्ची मिट्टी से, पावक में ही पकता है,
जलता रहता जीवन पर्यन्त, नहीं कभी ये थकता है।

डटा रहता आंधी में भी, चुनौती देता अंधकार को,
लौ की नैया खेता रहता, न गिरने देता पतवार को।

हम हैं बालक नई सदी के, घर-घर दीप जलाते हैं,
दीपों की रोशनी से अपने, ये गांव शहर सजाते हैं।

दीप जलाए उस घर में भी, जहां वर्षों से अंधेरा है,
जो है मिट्टी के 'दिये' बनाता, वो कुम्हार हमारा है।

क्यों नहीं ऐसे दीप नये, निश दिन ही जलाए हम,
और मन में बचे अंधेरे को, कोसों दूर भगाएँ हम।

कक्षा-10 वीं
सेंट जेवियर्स इंटनेशनल स्कूल, धनबाद

कविता

अंतर्मन

- रिंकु दुबे 'वैष्णवी'

कहने सुनने के दौर में
चिंतन मनन महत्वपूर्ण है
कोलाहल की इस दुनिया मे
इंसान मौन से ही सम्पूर्ण है ...
अंतर्मन की टूटी खिड़की
खोली तो दिखे वो तीनों
खेलते हुए "तीन पत्ती"
मेरा तन,
मेरा मन,
मेरी रुह
न कभी कोई जीता, न हारा
खुशहाल सी तिकड़ी
फिर जाने कब याराना टूटा
झगड़ने लगे, अलग हो गए
"मैं" समझौता कराते कराते
औंधे मुंह गिर पड़ी
बंद कर वो खिड़कियां,अब
अपने ही टूटे टुकड़े जोड़ती हूँ
उसने तुमको क्या कहा
तुमने उस को क्या कहा
उसने उस को क्या कहा
किसने तुमको क्या कहा
ये सब छोड़ दे प्राणी
और आँखे मूंद के सोच
तूने खुद को क्या कहा
और उसने तुझ को क्या कहा
राम की तरह "बनवास"
या कृष्ण की तरह "युद्ध" ?
बुद्ध की तरह "शांत" हो जाऊं
या शिव की तरह "तांडव" मचाऊं
ढूंढ रहा है उत्तर आज अंतर्मन
किस आराध्य का रास्ता अपनाऊँ मैं।।

राजभाषा विभाग,
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद

तुम्हारी याद

-शबनम शर्मा

तुम्हारी याद कुलांचे
भरती कभी भी
आ जाती,
पसर जाती मेरे
दिल के आंगन में,
तम्हारा जन्म, व
धीरे-धीरे तुम्हारा
लालन-पालन,
बदलती शकलें,
धरती पर खिसकना,
ठुमक-ठुमक कर
कभी गिरना, कभी चलना,
दो-चार दांतों से
खिलखिलाकर हँसना,
कभी मेरी चप्पलों में
नन्हें पांव फंसाना,
चुन्नी की साड़ी बना
लपेटना।
दिन बीतते गये,
महीने-वर्ष बीत गये
अ से ज्ञ, ए से जेड,
जिन्दगी का सीख गई
गिनती भी पूरी आ गई थी
कि पूरा सवाल,
हल करके चल दी तू,
किसी और के घर का
चिराग बनकर,
जहां अपनी है तेरी साड़ी
जूती और घर,
जहां और घर,
जहां कभी झांकती होंगी
यादों की चंद किरणें
जो मायके के सूरज
से आती हैं।

अनमोल कुंज,
सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

राजभाषा समाचार

के. औ. सु. बल में राजभाषा तिमाही बैठक का आयोजन

के.औ.सु.बल इकाई बीसीसीएल धनबाद में दिनांक 26.11.2020 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इकाई के मुख्य दो अधिकारियों एवं कुल 05 कार्यालयी बल सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन की समीक्षा की गई तथा कुछ निर्णयों को लिया गया जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	पिछली त्रैमासिक बैठक में लिए निर्णय (19.08.2020)	अनुपालन की स्थिति/समीक्षा
1	शत प्रतिशत हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करना।	इस बैठक में दिनांक 30.09.2020 के रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विगत त्रैमासिक अवधि में शत प्रतिशत हिंदी पत्राचार हुआ है।
2	धारा 3(3) के नियमों का पालन किया जाना।	यह पाया गया कि इस कार्यालय में धारा 3(3) के कागजातों को द्विभाषी में जारी किया जा रहा है।
3	हिंदी पखवाड़ा का आयोजन।	पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01.09.2020 से 15.09.2020 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कर प्रतियोगिताओं को आयोजित कर सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।
4	राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रमों का अनुपालन।	यह पाया गया कि कार्यालय में भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्त बैठक में विगत समीक्षाधीन अवधि में हिंदी का पत्राचार पूर्णत: लक्ष्य पर था, अतएव उप महानिरीक्षक महोदय ने सभी को निर्देश दिया कि वे लोग शत प्रतिशत हिंदी पत्राचार के लक्ष्य पर कायम रहें।

उन्होंने कहा कि सभी अनुभाग प्रभारी भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा अधिनियम 1963 के नियम 3(3) के तहत वर्णित सभी पत्रों को द्विभाषी रूप में ही जारी करें। इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

उन्होंने यह निर्देश दिया कि पुस्तकालय के लिए आवंटित राशि में से 50% हिंदी पुस्तकों, हिंदी सीडी, डीवीडी आदि के क्रय पर ही व्यय किया जाए। इसका अनुपालन व्यवस्था अनुभाग प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

इस बैठक में हिंदी प्रशिक्षण पर भी चर्चा की गई। इससे ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा विभाग से पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी किसी तरह का पत्र नहीं जारी किया गया है। इस संबंध में राजभाषा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी सेक्टर कमांडर एवं अनुभाग प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सभी सेवा दस्तावेजों, फाईलों और रजिस्टरों पर द्विभाषी में नाम दर्ज हों। अंकों के रूप में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1,2,3,4, का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस बैठक में श्री सुमित जैरथ, सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्रांक दिनांक 17.09.2020 पर भी चर्चा की गई। जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। उप महानिरीक्षक महोदय ने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत पत्र सभी अनुभागों एवं क्षेत्रों को जारी करें ताकि इसका समुचित पालन हो सके।

राजभाषा समाचार

नराकास धनबाद की छमाही बैठक संपन्न

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद की छमाही बैठक दिनांक 27 नवंबर, 2020 को अध्यक्ष कार्यालय –बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यह बैठक गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गयी थी। इस बैठक में प्रेक्षक के तौर पर श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), पूर्वी क्षेत्र कोलकाता भी सम्मिलित हुए। बैठक में अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए श्री मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नराकास द्वारा आयोजित बैठक व अन्य आयोजनों में बड़ी संख्या में सदस्य कार्यालयों द्वारा भागीदारी की जा रही है। आज की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि कुछ सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) संबंधी दस्तावेजों को केवल अंग्रेजी में जारी किया जा रहा है। यह नियमानुसार गलत है। इसे द्विभाषी रूप में होना चाहिए। आगे उन्होने कहा कि आगामी जनवरी, 2021 माह में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नराकास द्वारा एक वेबिनार का आयोजन करके उसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को आमंत्रित किया जाए। बैठक में उपस्थित न होने वाले सदस्य कार्यालयों पर सख्ती दिखाते हुए उन्होने कहा कि दिसंबर, 2020 में इन कार्यालयों के साथ अलग से एक बैठक की जाएगी। यदि किसी सदस्य कार्यालय को हिंदी में काम करने में कोई समस्या हो तो वह अध्यक्ष कार्यालय से सहायता हेतु संपर्क कर सकता है।

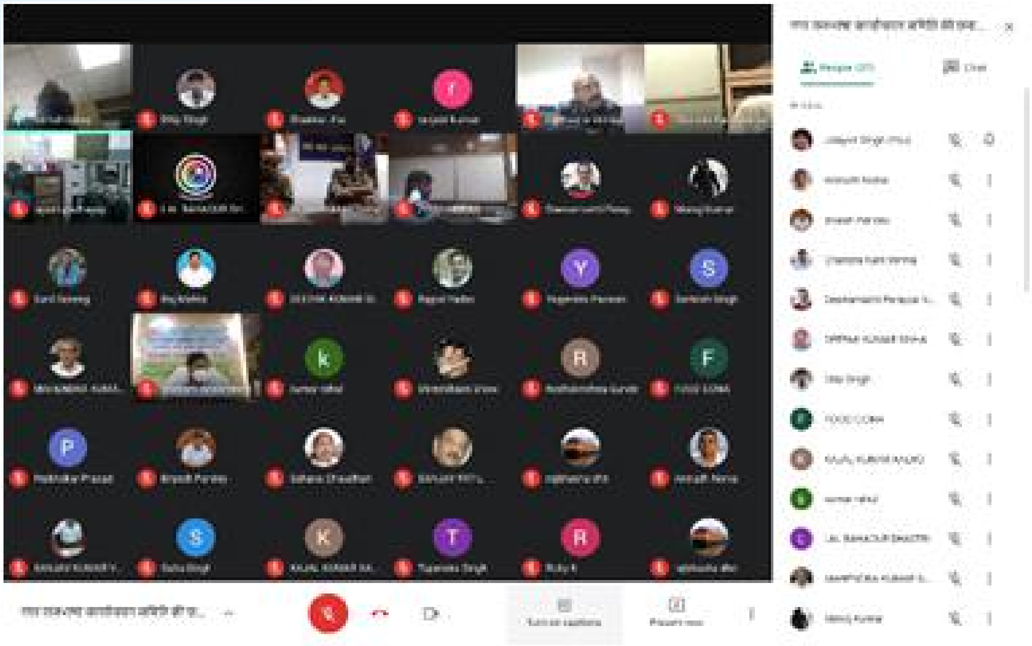

प्रेक्षक के तौर पर उपस्थित श्री निर्मल कुमार दुबे ने कहा कि सभी सदस्य कार्यालय तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट भरते समय पूरी सावधानी से रिपोर्ट भरें। इसमें कोई भी आंकड़ें गलत नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि किसी पत्र में अगर संबोधन व अधोलेख मात्र हिंदी में लिखा है तो इसे हिंदी का न माना जाए, यह अंग्रेजी का पत्र है क्योंकि पत्र का मुख्य भाग अंग्रेजी में है। उन्होने कहा कि आंकड़ें केवल रिपोर्ट में ही न दिखायी पड़ें बल्कि ये कार्यरूप में भी परिलक्षित हों। इस अवसर पर श्री डी पी नायडू, क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर समिति की पत्रिका 'धनबाद राजभाषा संदेश' अंक-17 का भी विमोचन किया गया और निर्णय लिया गया कि जनवरी माह में एक वेबिनार का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक में औपचारिक स्वगत वक्तव्य और धन्यवाद ज्ञापन श्री एस के सिंह, महाप्रबंधक (कार्मिक/राजभाषा) द्वारा किया गया। बैठक का संचालन श्री दिलीप कुमार सिंह, सचिव, नराकास धनबाद द्वारा किया गया।

राजभाषा समाचार

नराकास धनबाद द्वारा राजभाषा ई-संगोष्ठी का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद द्वारा 'राजभाषा हिंदी और तकनीकी सुविधाएं' विषय पर 18 जनवरी 2021 कोगूगल मीट के माध्यम से राजभाषा ई-संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ई-संगोष्ठी का उद्घाटन अध्यक्ष कार्यालय-बीसीसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कुमार अनिमेष द्वारा किया गया। उन्होने इस अवसर पर उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निश्चय ही राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नराकास धनबाद प्रतिवर्ष इस प्रकार की राजभाषा संगोष्ठियों के माध्यम से अपने सदस्य कार्यालयों को राजभाषा संबंधी नवीनतम विषयों से लाभान्वित करता है। संगोष्ठी में विषय प्रवर्तन करते हुए नराकास सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि भाषा और तकनीकी का बहुत गहरा रिश्ता है। भविष्य में उन्हीं भाषाओं का वजूद सुरक्षित रहेगा, जिन्होंने तकनीकी जगत में अपनी पहचान बनाई है।

तीन सत्रों में आयोजित इस ई-संगोष्ठी का प्रथम सत्र "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विकास" विषय पर आयोजित हुआ। इस सत्र में विषय विशेषज्ञ के तौर पर प्रो. शिव कुमार सिंह, लिस्बन विश्वविद्यालय, पुर्तगाल को आमंत्रित किया गया था। प्रो. सिंह ने भारत के बाहर हिंदी का क्रमिक विकास कैसे हुआ, इस पर विस्तार से अपने विचार रखे और प्रतिभागियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। ई-संगोष्ठी का द्वितीय सत्र "राजभाषा हिंदी और आधुनिक तकनीकी" पर आयोजित किया गया। इस सत्र में विषय विशेषज्ञ के तौर पर श्री बालेंदु शर्मा दाधीच, निदेशक (स्थानीयकरण), माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को आमंत्रित किया गया। श्री दाधीच ने कंप्यूटर पर हिंदी में सहजता से कार्य करने संबंधी तमाम युक्तियां बतायीं और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि आप सभी कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करने के लिए इंस्क्रिप्ट पद्धति का ही प्रयोग करें। ई-संगोष्ठी का तृतीय सत्र "अनुवाद टूल कंठस्थ का प्रयोग" विषय पर आयोजित किया गया। इस सत्र में विषय विशेषज्ञ के तौर पर श्री शशिपाल सिंह, संयुक्त निदेशक, सीडैक पुणे द्वारा 'कंठस्थ' अनुवाद प्रणाली का डेमो दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रणाली के माध्यम से यदि एक बार किसी वाक्य का अनुवाद करके सिस्टम में इसे ग्लोबल कर दिया जाता है, तो इस प्रणाली से जुड़े से किसी भी व्यक्ति को इसी वाक्य का दुबारा अनुवाद नहीं करना होगा। सिस्टम द्वारा इसे स्वयं करके दे दिया जाएगा।

ई-संगोष्ठी के अवसर पर नराकास धनबाद के समस्त सदस्य कार्यालयों, बीसीसीएल मुख्यालय के सभी विभागों और क्षेत्रों तथा केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों से लगभग 150 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

राजभाषा समाचार

राजभाषा ई-कार्यशाला का आयोजन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मुख्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा 12 जनवरी 2021 कंपनी के बस्ताकोला क्षेत्रीय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजभाषा ई-कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने संबंधी विभिन्न तकनीकी उपायों पर चर्चा की गयी।

संकाय के रूप में उपस्थित श्री दिलीप कुमार सिंह, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने कहा वर्तमान तकनीकी युग में दुनिया की अन्य भाषाओं के समान ही हिंदी में भी पूरी सक्षमता से कार्य किया जा सकता है। उन्होंने गूगल ट्रांसलेट, बिंग ट्रांसलेट, ई-महाशब्दकोश, वाइस टाइपिंग आदि तकनीकी युक्तियों पर चर्चा करते हुए इनका प्रदर्शन भी किया। दूसके

संकाय श्री अनिरुद्ध नोनिया ने यूनिकोड आधारित हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया और सभी को इसे कंप्यूटर में सक्रिय करने के बारे में बताया। कार्यशाला में श्री देवाशीष बाग, प्रबंधक (प्रशासन), श्री विनीत कुमार सिन्हा, उप प्रबंधक (कार्मिक), श्री वशिष्ठ मुनि पाण्डेय, प्रभारी (राजभाषा) सहित लगभग 30 अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

नराकास धनबाद की बैठक का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद की एक विशिष्ट बैठक दिनांक 16.12.2020 को कोयला भवन में अध्यक्ष कार्यालय-बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री पी वी के आर मल्लिकार्जुन राव की अध्यक्षता में कोयला भवन में आयोजित की गयी। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी कार्यालयों के प्रतिनिधियों से नराकास धनबाद की बैठकों व अन्य गतिविधियों में अनिवार्य रूप से भागीदारी करने और तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा उपस्थित सभी कार्यालयों के प्रतिनिधियों को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) व अन्य राजभाषा नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया।

श्री राव द्वारा समिति के सदस्य सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह को सभी सदस्य कार्यालयों की राजभाषा संबंधी समस्यायों के समाधान के लिए उनके साथ लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर निखिल कुमार गांधी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अशोक कुमार चौधरी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्रीमती किरण कुमारी, पंजाब एंड सिंध बैंक, श्री ब्रजेश कुमार पासवान और श्री नंद किशोर सिंह, डाक विभाग, श्री संतोष कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री जयप्रकाश नारायण, सीजीआईटी-2, श्री गौतम कुमार, सीजीआईटी-1, श्री प्रशांत कुमार, यूको बैंक, श्री दुर्गा प्रसाद, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बीसीसीएल से श्री दीपक कुमार सिन्हा और श्री उदयवीर सिंह उपस्थित रहे।

बीसीसीएल की राजभाषा तिमाही बैठक का आयोजन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कॉरपोरेट स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 04 जनवरी, २०२१ को श्री एस एन सिन्हा, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गयी। क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मुख्यालय के विभागाध्यक्षों द्वारा गूगल मीट के माध्यम से बैठक में भागीदारी की गयी।

बैठक के दौरान श्री एस एन सिन्हा द्वारा क्षेत्रों और विभागों से प्राप्त तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सितंबर, 2020 तिमाही में सम्पूर्ण बीसीसीएल के हिंदी पत्राचार में वृद्धि हुई है। श्री एस एन सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि पिछली तिमाही कि तुलना में पत्राचार में वृद्धि हुई है। सभी विभागों का यह सम्मिलित प्रयास है। इसके लिए सभी विभाग बधाई के पात्र हैं। सभी विभाग और क्षेत्र राजभाषा नियम, 1976 के उपनियम 7 और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनिवार्य तौर पर अनुपालन सुनिश्चित करें और कंपनी की गृह पत्रिका 'कोयला भारती' में प्रकाशन हेतु सभी क्षेत्र प्रकाशन सामाग्री भी भेजें। कोयला भारती का प्रकाशन आगामी माह में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर किया जाएगा।

बैठक के दौरान सितंबर, 2020 तिमाही में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले मुख्यालय स्थित भूसंपदा विभाग को राजभाषा चल वैजयंती शील्ड से सम्मानित किया गया।

बैठक का संचालन श्री दिलीप कुमार सिंह, उप प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा किया गया और कृत कार्रवाई का विवरण श्री उदयवीर सिंह, उपप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर श्री दीपक कुमार सिन्हा, प्रबंधक (सचिवीय/राजभाषा) का योगदान सराहनीय रहा।

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को 3 क्षेत्रों यथा क, ख, ग में परिभाषित किया गया है

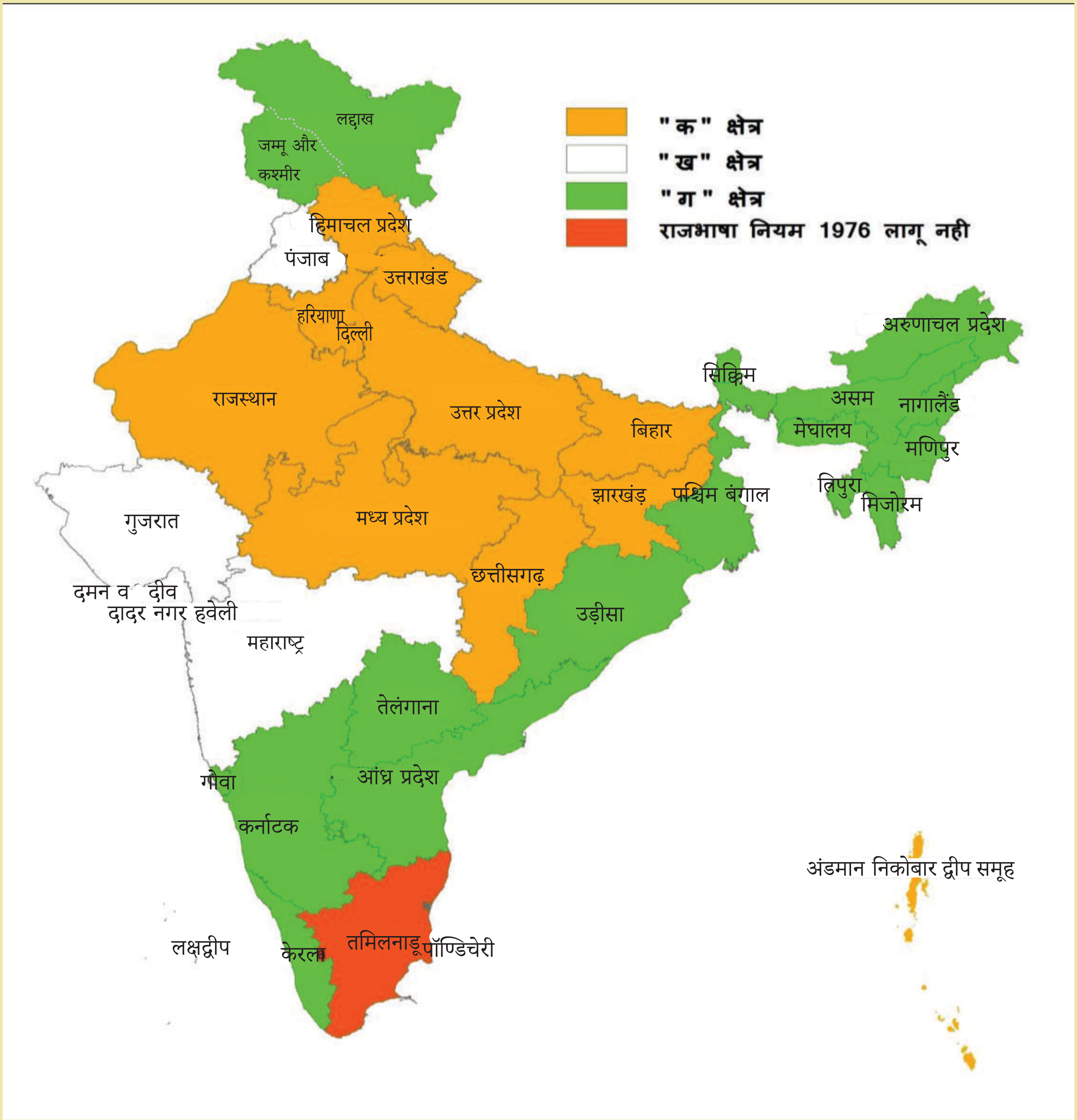

ऋतुओं में न्यारा वसंत

- महादेवी वर्मा

स्वप्न से किसने जगाया?
मैं सुरभि हूँ।

छोड़ कोमल फूल का घर
ढूँढती हूं कुंज निर्झर।
पूछती हूँ नभ धरा से-
क्या नहीं ऋतुराज आया?

मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत
मैं अग-जग का प्यारा वसंत।

मेरी पगध्वनि सुन जग जागा
कण-कण ने छवि मधुरस माँगा।

नव जीवन का संगीत बहा
पुलकों से भर आया दिगंत।

मेरी स्वप्नों की निधि अनंत
मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत।